

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय



मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक, १९६६

(क्रमांक ३४ सन् १९६६)

के संबंध में

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक सहित)

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९७१

मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक, १९६६

(क्रमांक ३४, सन् १९६६)

प्रवर समिति का गठन

समापति

१ श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव.

सदस्य

- २ श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
- ३ श्री विनयकुमार दीवान
- ४ श्री लक्ष्मीशंकर भट्ट
- ५ श्री विश्वेश्वर प्रसाद
- ६ श्री जोधसिंह
- ७ श्री जयदेव सतपथी
- ८ श्री प्रभूदयाल चौबे
- ९ श्री रत्नाकर झा
- १० श्री रामचरणलाल मिश्र
- ११ श्री शिवचरण तिवारी
- १२ श्री इन्दरसिंह गोठी
- १३ श्री सुशील बहादुर अष्ठाना
- १४ श्री रघुवीर सिंह (मछंड)
- १५ श्री शिवप्रसाद चनपुरिया
- १६ श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री
- १७ श्री देवेश्वर सिंह
- १८ राव चन्दनसिंह
- १९ श्री बलवन्त सांगले
- २० श्री त्रिभुवनसिंह
- २१ श्रीमती कान्ता पारेख
- २२ श्री कृष्णपाल सिंह, राजस्व एवं विधि मंत्री.

सचिवालय

- १ श्री मदनगोपाल, सचिव
- २ श्री नरेन्द्रसिंह, अवर सचिव.

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, इस प्रवर समिति का सभापति, जिसे मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक, १९६६ (सन् १९६६), निर्दिष्ट किया गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, उसके इस प्रतिवेदन को, इससे संलग्न प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूँ।

२. विधेयक * विधान सभा में ७ जुलाई १९६६ को पुरःस्थापित किया गया था तथा दिनांक ८ जुलाई १९६६ को श्री कृष्णपाल सिंह, राजस्व एवं विधि मंत्री द्वारा विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया जिस पर सदन में विचार किया गया और उसी दिन स्वीकार कर लिया गया।

३. सभा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई थी। किन्तु मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम ७३(१) के अनुसार समिति द्वारा आगामी सत्रों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव न हो सकने के कारण सदन में दिनांक ६ जनवरी, १९७० को बजट सत्र १९७० के पश्चात् तथा दिनांक १७ सितम्बर १९७०, २४ दिसम्बर १९७० एवं १६ मार्च, १९७१ को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की गई।

४. दिनांक ६ अगस्त १९६६ को हुई प्रवर समिति की प्रथम बैठक में समिति ने यह निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों से दिनांक ८ सितम्बर १९६६ तक उनके सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित किये जायँ तथा यदि कोई व्यक्ति या निकाय समिति के समक्ष सुझाव या आपत्तियाँ देने के अतिरिक्त मौखिक रूप से साक्ष्य देने के भी इच्छुक हों तो लिखित रूप में इस आशय के उनके आवेदन आमंत्रित किये जायँ। तदनुसार इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी। दिनांक ३० अगस्त १९६६ को हुई समिति की बैठक में सुझाव तथा आपत्तियाँ, आदि भेजने हेतु अवधि में दिनांक १५ सितम्बर १९६६ तक की वृद्धि की गई थी। यह सूचना भी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा प्रसारित की गई।

५. समिति को विधेयक के सम्बन्ध में सुझावों तथा आपत्तियों के ज्ञापन विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों से प्राप्त हुए जिनके नामों की सूची परिशिष्ट एक में दी गई है।

६. समिति की कुल ३५ बैठकें हुईं।

७. समिति ने दिनांक १८ सितम्बर, १९६६ को इन्दौर का, दिनांक २३, २७ व २८ अक्टूबर, १९६६ को क्रमशः ग्वालियर, दतिया व भिन्ड का अध्ययन दौरा किया।

८. समिति ने प्रदेश से बाहर दिनांक २१ मई, १९७१ को आंध्रप्रदेश के कुछ स्थानों का, दिनांक २३ से ३० जुलाई, १९७१ तक उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों के कतिपय स्थानों का तथा दिनांक १० से १७ अगस्त १९७१ तक राजस्थान राज्य के कतिपय स्थानों का अध्ययन दौरा किया। दौरे के समय समिति ने उक्त राज्यों में प्रचलित अधिनियमों के क्रियान्वयन में या इस कार्य को आगे बढ़ाने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्थानीय राजस्व अधिकारियों एवं भूदान/ग्रामदान कार्यकर्त्ताओं से चर्चा की।

८. समिति उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, चौधरी चरणसिंह एवं बिहार तथा राजस्थान के राजस्व मंत्री क्रमशः श्री चन्द्रशेखर तथा श्री परशुराम मलयाना, की भी आभारी है जिन्होंने समिति को विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में चर्चा का अवसर प्रदान करते हुए मार्ग दर्शन किया। जिन व्यक्तियों

* "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक ७ जुलाई, १९६६ में हिन्दी में प्रकाशित।

(दो)

तथा निकायों ने समिति को लिखित सुझाव दिये तथा समिति के समक्ष साक्ष्य दिया जिनके नामों की सूची परिशिष्ट २ में दी गई है, के प्रति श्री समिति अपना आभार प्रदर्शित करती है।

६. दिनांक २० जुलाई, १० तथा ११ सितम्बर, १९७१ को हुई बैठकों में समिति ने विधेयक के विभिन्न खण्डों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया तथा दिनांक २० सितम्बर १९७१ को हुई बैठक में प्रतिवेदन को अंगीकृत किया तथा उसे विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु सभापति को प्राधिकृत किया।

१०. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार आगे की कड़िकाओं में दिये गये हैं।

११. खण्ड २ समिति का विचार था कि इस खंड में दी गयी परिभाषाओं को देवनागरी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किया जाना चाहिये। तदनुसार खण्ड के पदों का पुनर्क्रमांकन किया गया है।

१२. खण्ड ५, ८ तथा २०.—समिति का मत था कि ग्रामदान मण्डल के सभापति, उप सभापति तथा सदस्यों का नाम निर्देशन, उनका हटाया जाना तथा मण्डल का विघटन राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के परामर्श से होना चाहिए।

समिति का यह भी मत था कि मण्डल का सचिव मण्डल का सेवक होना चाहिए तथा उसकी नियुक्ति मण्डल द्वारा की जानी चाहिए?

तदनुसार उक्त खण्डों में संशोधन किये गये हैं?

१३. खण्ड २८.—समिति का मत था कि किसी ग्राम को ग्रामदान ग्राम घोषित करने के लिए उस ग्राम के भूमियों के विस्तार की ७५ प्रतिशत भूमि एवं ग्राम के भूमि स्वामियों तथा उस ग्राम में निवासियों की संख्या के नव्वे प्रतिशत का प्रावधान होना चाहिए। तदनुसार खण्ड के संशोधन किया गया है।

१४. खण्ड ३०.—समिति का विचार था कि ग्रामदान सभा द्वारा गठित स्थाई समितियों एवं अन्य समितियों के विघटन एवं उनके पुनर्गठन का प्रावधान आवश्यक नहीं है। अतः खण्ड में से उक्त उपबन्ध विलोपित किया गया।

१५. खण्ड ३३.—समिति को आशंका थी कि ग्रामदान सभा के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कतिपय मामलों को एक मत्य के आधार पर जिसके लिए उपस्थित सदस्यों की ६० प्रतिशत की सहमति आवश्यक होगी की सहमति प्राप्त करना कठिन होगा तथा बहुत से मामले उलझ जायें करेंगे। अतः समिति ने इन मामलों के लिए २/३ सदस्यों के बहुमत का विनिश्चय मान्य किये जाने का प्रावधान रखने का निर्णय किया। तदनुसार खण्ड संशोधित किया गया है।

१६. खण्ड ३६.—समिति का मत था कि कृषक को बेदखल करने के उपबन्ध के बजाय कतिपय परिस्थितियों में ग्रामदान किसान की भूमि का प्रबन्ध लेने की शक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। तदनुसार खण्ड में संशोधन किये गये हैं।

१७. खण्ड ३९.—ग्रामदान सभा को सामान्य भूमि का प्रबन्ध सार्वजनिक प्रयोग हेतु ले सकने का उपबन्ध जोड़ा गया।

१८. खण्ड ४२.—समिति ने उप खण्ड (१) के पद (तीन) में मध्यस्थ मण्डल में नाम निर्देशित व्यक्तियों के सम्बन्ध में असहमति होने की स्थिति में एक सदस्य का नाम निर्देशन विहित प्राधिकारी द्वारा किये जाने के स्थान पर ग्रामदान मण्डल के अध्यक्ष द्वारा किये जाने का निश्चय किया।

(तीन)

तदनुसार खण्ड को संशोधित किया गया है.

१९. खण्ड ४५.—समिति का मत था कि ग्रामदान अदालत की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामदान मंडल के परामर्श से होनी चाहिए. तदनुसार खण्ड संशोधित किया गया है.

२०. खण्ड ४६.—समिति का मत था कि लम्बित वाद तो उसी न्याय पंचायत अथवा न्यायालय द्वारा निपटाये जायेंगे वहाँ प्रकरण प्रस्थित किया गया हो किन्तु ग्रामदान अदालत के गठन के पश्चात् समस्त वाद ग्रामदान अदालत में ही प्रस्तुत किये जाने चाहिए.

तदनुसार खण्ड संशोधित किया गया है.

२१. खण्ड ५६.—समिति का मत था कि ग्रामदान अदालत के निर्णय या, डिक्री के पुनरीक्षण के अतिरिक्त उसकी अपील का भी उपबंध किया जाना चाहिए तथा अपील सुनने वाले प्राधिकारी को प्रश्नाधीन निर्णय को रोक देने की शक्ति भी प्राप्त होना चाहिए. तदनुसार खण्ड संशोधित किया गया है.

२२. खण्ड ७४.—समिति को ग्रामदान सभा के अतिष्ठान का प्रावधान अनावश्यक प्रतीत हुआ. तदनुसार अतिरिक्त खण्ड विलोपित किया गया.

२३. समिति द्वारा किये गये अन्य संशोधन गौड़ या आनुवंशिक स्वरूप के हैं और स्वतः स्पष्ट हैं.

२४. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक उसके द्वारा यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय.

नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव,
सभापति

(चार)

परिशिष्ट—एक

(प्रतिवेदन की कंडिका ५ देखिये)

उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम जिनसे सुझाव आपत्तियां प्राप्त हुई थीं.

अनुक्रमांक

व्यक्ति / संस्था का नाम व पता

(१)

(२)

- १ श्री हेमदेव शर्मा, सचिव, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ बोर्ड, भोपाल
- २ श्री आर. के. पाटील, अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ, सभापति, ग्रामदान सलाहकार समिति.
सिविल लाइन्स, नागपुर.
- ३ श्री दादाभाई नाईक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड, विसर्जन आश्रम, इन्दौर,
- ४ श्री बी. स. खोर्डे, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सर्वोदय मंडल, इन्दौर.
- ५ श्री नरेन्द्र दुबे, मंत्री, मध्यप्रदेश सर्वोदय मण्डल, इन्दौर.
- ६ श्री मंगल प्रसाद, गांधी शताब्दी रचनात्मक समिति, रीवां.
- ७ श्री चतुर्भुज पाठक, संघटन सचिव, मध्यप्रदेश गांधी शताब्दी-समिति, भोपाल.
- ८ ग्रामदान एकट एडवाइजरी कमेटी, सेवाग्राम (कैंप कार्यालय गौपुरी, वर्धा).

(पांच)

परिशिष्ट—दो

(प्रतिवेदन की कण्डिका न देखिये)

समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची.

अनुक्रमांक	व्यक्ति का नाम	साक्ष्य का दिनांक
(१)	(२)	(३)
१ इन्दौर	१. श्री दादा भाई नाईक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड. २. श्री बी. स. खोड़े, अध्यक्ष, म. प्र. सर्वोदय मण्डल ३. श्री नरेन्द्र दुबे, मंत्री, म. प्र. सर्वोदय मण्डल. ४. श्री हेमदेव शर्मा, सचिव, म. प्र. भूदान यज्ञ बोर्ड.	१८ सितम्बर १९६६
२ ग्वालियर	१. श्री राजकुमार चौबे, संयोजक, रचनात्मक उप-समिति, ग्वालियर. २. श्री बीरेन्द्र नाथ, सदस्य, रचनात्मक उप-समिति ग्वालियर. ३. श्री बी. एल. वाल्मीकि, प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक ग्वालियर.	२६ अक्टूबर १९६६
३ दतिया	१. श्री शिवकुमार समाधिया, सर्वोदय सेवक, मुरेरा २. श्री हरगोविन्द विद्यार्थी, दतिया ३. श्री गुलाबसिंह यादव, ग्राम महेवा ४. श्री भंवरसिंह, सरपंच, ग्राम कुम्हेणी ५. श्री गुलाबचन्द "प्रकाश", सदस्य, पी. सी. सी. दतिया. ६. श्री सुगर सिंह. ७. श्री दयाराम नागिल, टोड़ेग्राम ८. श्री दयाराम, ग्राम पीपरी ९. श्री रामदास चौधरी, भूतपूर्व विधायक, सेवठा एवं पक्ई.	२७ अक्टूबर १९६६
४ बिलौवा	१. श्री शिवचरण लाल दीवान २. श्री परमानन्द शर्मा	२७ अक्टूबर १९६६
५ भिण्ड	१. श्री दयाशंकर चतुर्वेदी, बबल घाटी शांति समिति २. श्री दीपचन्द पालीवाल ३. श्री रामेश्वर दयाल अरले, एडवोकेट एवं संयोजक जिला युवक काँग्रेस, भिण्ड.	२८ अक्टूबर १९६६

(छः)

(१)	(२)	(३)
	४. श्री लाल सिंह कुशवाह, अध्यक्ष बार एसोसियेशन, भिड ५. श्री राम नारायण गुप्ता, एडवोकेट, भिड	
६ मेहगांव ..	१. श्री बैजनाथ शर्मा, "संतप्त" २. श्री छोटेला शर्मा ३. श्री कमलेश्वर नारायण गुप्ता एडवोकेट ४. श्री हरविलास शर्मा	२८ अक्टूबर १९७१
७ भोपाल ..	१. श्री चतुर्भुज पाठक, संगठन सचिव, मध्यप्रदेश गांधी शताब्दी समिति, भोपाल.	२१ मई १९७०
प्रवेश से बाहर		
१ हैदराबाद ..	१. श्री यू. केशवराय, उपाध्यक्ष, स्टेट भूदान यज्ञ बोर्ड, हैदराबाद. २. श्री सी. बी. चवरे, सेक्रेटरी, आन्ध्रप्रदेश सर्वोदय मण्डल, हैदराबाद.	२१ मई १९७०
२ लखनऊ ..	१. श्री आत्माराम गोविन्द खरे, उत्तरप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष एवं भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष. २. श्री विचित्र नारायण शर्मा, सदस्य, भूदान यज्ञ समिति ३. श्री अक्षय कुमार करण, सदस्य " " ४. श्री कपिलदेव पांडेय, सदस्य " " ५. श्री कामतानाथ गुप्त (रिटायर्ड जज) सदस्य " ६. श्री श्यामाचरण शास्त्री, सदस्य " " ७. श्री श्रीकान्तसिंह चौहान, सदस्य " "	२३ जुलाई १९७०
३ वाराणसी ..	१. श्री आचार्य राममूर्ति २. डा. डी. बी. वी. चटर्जी, प्रोफेसर, मनोविज्ञान एवं शिक्षा, गांधीयन इन्स्टीट्यूट. ३. श्री बी. पी. सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान एवं शिक्षा, गांधीयन इन्स्टीट्यूट.	२५ जुलाई १९७०

(सात)

(१)	(२)	(३)
४ पटना	१. श्री गौरीशंकर सिंह, अध्यक्ष, विहार भूदान यज्ञ कमेटी कार्यालय, पटना. २. श्री निर्मलचन्द, मंत्री भूदान यज्ञ कमेटी ३. श्री सरजी बाबू, गांधी शताब्दी समिति, पटना ४. श्री चन्द्रशेखर भाई, गांधी स्मारक निधि, पटना ५. श्री विद्यासागर भाई, गांधी शताब्दी समिति, पटना.	२८ जुलाई १९७०
५ बोधगया	१. श्री जिनत जाधव, ग्राम सभा के सभापति २. श्री भुवनेश्वर जाधव, मंत्री, ग्राम सभा	३० जुलाई १९७०
६ ग्राम बगहा	श्री किशोर मांझी, ग्राम सभा के सभापति	३० जुलाई १९७०
७ दुर्गापुर (जयपुर)	१. श्री रामवल्लभ अग्रवाल, अध्यक्ष, समग्र सेवा संघ २. श्री सोपी बहन, उपाध्यक्ष, समग्र सेवा संघ ३. श्री गोकुल भाईदो भट्ट सदस्य, समग्र सेवा संघ ४. श्री यज्ञदत्त उपाध्याय, सदस्य, समग्र सेवा संघ ५. श्री सिद्धराज टडुडा सदस्य, समग्र सेवा संघ ६. श्री पूर्णचन्द जैन, सदस्य, समग्र सेवा संघ ७. श्री बन्नी प्रसाद स्वामी, सदस्य, समग्र सेवा संघ ८. श्री छीतरमल गोणल, सदस्य, समग्र सेवा संघ ९. श्री त्रिलोक चन्द जैन, मंत्री, समग्र सेवा संघ १०. श्री हेमदेव शर्मा, सचिव, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड	१२ अगस्त १९७१
८ ग्राम भीलियाखेडा चित्तोड़गढ़	श्री केसरपुरी गोस्वामी, अध्यक्ष, सर्वोदय आश्रम चंदेरिया.	१५ अगस्त १९७१

विमति टिप्पणी

(एक)

विधेयक के खण्ड ८ में ग्रामदान मण्डल के सभापति, उपसभापति या किसी सदस्य को पद से हटा देने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इस अधिकार का दुरुपयोग दलीय स्वार्थों की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा। पद से हटाने के लिये जिन आधारों का उल्लेख है वे अस्पष्ट एवं बहुत व्यापक हैं, उनका बहाना लेकर राज्य सरकार किसी भी सदस्य को हटा सकेगी जैसे कि राज्य शासन की राय में यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो अथवा उसका सदस्य के रूप में बना रहना लोकहित के लिये अपायकर हो जाये। राज्य शासन की इस प्रकार की राय किसी भी ऐसे सच्चरित्र सदस्य के सम्बन्ध में हो सकती है जो सत्तारूढ़ पक्ष के दलीय स्वार्थों की सिद्धि में सहायक न हो। मेरी राय में सभापति, उपसभापति या सदस्य को केवल उसी स्थिति में हटाया जाना चाहिये जबकि उसके विरुद्ध नैतिक पतन का अपराध किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध घोषित किया गया हो अथवा वह विकृत मस्तिष्क हो जाये।

इसी तरह खण्ड २० में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह समूचे ग्रामदान बोर्ड को ही विघटित या दो वर्ष तक के लिये अतिष्ठित कर सकेगी। इस प्रकार के अधिकार दूसरे प्रदेशों के ग्रामदान अधिनियमों में कहीं भी राज्य शासन को नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग दलीय स्वार्थ के लिये होना अवश्यम्भावी है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामदान आन्दोलन में कल्पनातीत बाधा उत्पन्न होगी। यद्यपि प्रवर समिति ने यह स्वीकार किया है कि राज्य शासन उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में अपने अधिकारों का उपयोग सर्वसेवा संघ के परामर्श से करेगी किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि राज्य शासन परामर्श मानने के लिये बाध्य नहीं होगा। परामर्श होता तो औपचारिकता मात्र होगी। विधेयक के खण्ड २१ में ग्रामदान के रूप में किसी गांव के भू-स्वामियों द्वारा अपनी समस्त भूमि के दान की घोषणा एवं उसकी पुष्टि की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार कोई विहित प्राधिकारी प्रत्येक भू-स्वामी से अलग-अलग उसकी भूमि के सूक्ष्मतम विवरणों के साथ घोषणा लेगा व उसके बाद प्रत्येक घोषणा की जांच, उस पर आपत्तियों का निबटारा तथा प्रकाशन व पुष्टि आदि का कार्य करेगा। यह कार्य ऐसे किसी शासकीय कर्मचारी के दूते का नहीं है जिसे इस कार्य के अलावा दूसरे अनेक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। बिहार व राजस्थान आदि प्रदेशों में हजारों गांवों का ग्रामदान हुआ है किन्तु विहित प्राधिकारी की जांच व पुष्टि का काम अभी तक लगभग नगण्य हुआ है, इसलिये ग्रामदान परामर्शदात्री समिति एवं सर्व सेवा संघ के नेताओं ने यह सुझाव दिया था कि यह कार्य विहित प्राधिकारी को न सौंपकर ग्रामदान मण्डल के सभापति को सौंपा जाय जो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामदान की घोषणाओं की जांच व पुष्टि का कार्य शीघ्रता से करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास केवल यही कार्य होगा तथा इस कार्य में उनकी एकाग्र दिलचस्पी भी होगी। इसी तरह ग्रामदान आन्दोलन में समर्पित लोगों ने यह भी सुझाव दिया था कि प्रत्येक भू-स्वामी से अलग-अलग घोषणापत्र लेने में अत्यधिक विलम्ब होता है तथा पुष्टि के कार्य में भी अनावश्यक अड़चन उपस्थित होती है; अतः समूचे गांव का एक संयुक्त घोषणा पत्र होना चाहिये जिससे ग्रामदान में अपनी समस्त भूमि देने की घोषणा करने वालों के हस्ताक्षर हों।

राजस्थान, बिहार व महाराष्ट्र के ग्रामदान अधिनियमों में इन सुझावों को स्वीकार किया गया है किन्तु मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक की प्रवर समिति ने इन सुझावों को अस्वीकार कर ग्रामदान आन्दोलन की प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। ग्रामदान मण्डल के अध्यक्ष को घोषणा प्राप्त करने, उसकी जांच व पुष्टि करने का अधिकार देने के बजाय विसी शासकीय अधिकारी के जिम्मे यह काम लगाना नितान्त अविवेकपूर्ण एवं आन्दोलन के लिये अहितकर है।

खण्ड २१ में ही एक और प्रावधान यह है कि किसी पट्टे, अनुदान या समनुदेशन के अधीन दी गई सरकारी जमीन ग्रामदान में बिना राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के नहीं दी जा सकेगी। यह प्रावधान ग्रामदान की मूल भावना के ही विपरीत है। जब भू-स्वामी लोग अपने व्यक्तिगत स्वामित्व की

(नौ)

भूमि ग्रामदान में दे रहे हों तो शासकीय भूमि के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिये। ग्रामदान में दी गई भूमि, ग्रामदान सभा की हो जाती है। सरकारी जमीन का स्वामित्व तो ग्रामदान सभा को मिलना ही चाहिये उसमें राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन का अड़ंगा लगाना ग्रामदान आन्दोलन में बाधा पहुँचाना है।

विधेयक के खण्ड २५ के उपखंड (१) की मद (ख) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अधि-सूचना द्वारा ग्रामदानी गांव की सामान्य भूमि में से भी कुछ जमीन या सारी जमीन को ग्रामदान सभा के प्रबन्ध से अलग कर सकेगी। राज्य सरकार का यह हस्तक्षेप ग्रामदान आन्दोलन के लिये बाधक सिद्ध होगा। सामान्य भूमि तो सारी की सारी ग्रामदान सभा की ही होनी चाहिये। राज्य शासन को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि सामान्य भूमि में से भी कुछ भूमि ग्रामदान सभा के प्रबन्ध से वह छुड़ा सके। इसी तरह से खण्ड ३६ (१) में राज्य शासन को अधिकार दिया गया है जो नितान्त अनुचित है।

ग्रामदान ग्राम घोषित होने के पश्चात् समस्त सामान्य भूमि ग्रामदान सभा के ही प्रबन्ध में रहनी चाहिये

विधेयक के खण्ड ३५ के उपखंड (१) के मद (ख) में यह प्रावधान है कि जिस किसान ने अपनी समस्त भूमि ग्रामदान के रूप में दे दी है, उसने यदि अपनी कुछ जमीन किसी शिकमी काश्तकार को ग्रामदान में जमीन देने के पूर्व पट्टे पर दे रखी हो तो वह शिकमी काश्तकार को बेदखल कर जमीन पर अपना कब्जा कर सकेगा तथा जब तक बेदखल न करें तब तक जमीन का भाटक (लगान) उस शिकमी काश्तकार से वसूल करता रहेगा।

इसके द्वारा पुरानी जमींदारी प्रथा को जीवित करने का प्रयास किया गया है। शिकमी काश्तकार यदि उसके पास निजी जमीन २ बीघा भी न हो, उसे बेदखल करने का अधिकार देना सामन्ती शोषण को मान्यता देना है। ग्रामदान विधेयक में यह प्रावधान आश्चर्यजनक है। यद्यपि जमींदारी प्रथा समाप्त हो चुकी है किन्तु ग्रामदान विधेयक के इस प्रावधान में शिकमी काश्तकार से लगान वसूल करने का अधिकार किसी भू-स्वामी को देकर नये ढंग से मालगुजारी प्रथा को कायम करने का प्रयास किया गया है।

लगान वसूल करने का अधिकार केवल ग्रामदान सभा को होना चाहिये तथा एक निश्चित सीमा से कम जमीन वाले शिकमी काश्तकार से जमीन छीनने का अधिकार किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये।

विधेयक के खण्ड ३५ (१) मद (ङ) के उपबन्ध परस्पर विरोधी हैं। पहले तो मद (ङ) में यह उल्लेख है कि ग्रामदान करने के बाद किसान अपनी जमीन पर कब्जा तो रख सकेगा किन्तु उसका स्वामित्व समाप्त हो जायगा, वह अपनी जमीन का अन्तरण या वसीयत नहीं कर सकेगा केवल उस जमीन पर वह काबिज रहेगा तथा उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कब्जा रख सकेंगे। जमीन पर स्वामित्व समाप्त हो जायगा। किन्तु मद (ङ) के ही उपबन्ध एक, दो व तीन में इसके सर्वथा विपरीत प्रावधान रख दिये गये हैं। इन उपबन्धों में ग्रामदान किसान को जमीन बेचने का अधिकार दे दिया गया है। इस तरह एक ही धारा के उसी उपखंड में परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार का कानून शायद ही कहीं देखने को मिले।

ग्रामदान की मूल भावना यह है कि ग्रामदान में अपनी जमीन देने की घोषणा कर भू-स्वामी जमीन पर अपने स्वामित्व का विसर्जन करता है। उस जमीन पर वह अपने सार अधिकार व हितों का परित्याग करता है, तथा भूमि का स्वामित्व समाज को सौंपता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भी विधेयक के खण्ड २५ (१) में तथा ३५ (१) (ङ) में किया गया है किन्तु बाद में उस जमीन की कीमत लेकर बेचने या रहन अथवा आड़मान करने का अधिकार देकर ग्रामदान की मूल भावना का ही हनन कर दिया गया है। इन उपबन्धों के पश्चात् यह ग्रामदान विधेयक सर्वथा निरर्थक हो गया है। जिस जमीन का स्वामित्व किसान ने छोड़ कर समाज को दे दिया उसे बेचने का अधिकार फिर व्यक्ति को कैसे हो सकता है ?

(बस)

इसी तरह खण्ड ३८ में उन भूमिहीनों को भी वह जमीन बेच देने का अधिकार दिया गया है जो जमीन उन्हें ग्रामदान सभा अपने भूमि संग्रह में से खेती करने के लिये देगी. ग्रामदान सभा, भूमिहीनों को खेती के लिये जमीन देगी तथा खण्ड ३८ (२) की मद (ख) के अनुसार वह भूमिहीन जमीन का अन्तरण नहीं कर सकेगा यह ग्रामदान के सिद्धान्तों के अनुरूप है किन्तु उसी खंड में ही परन्तु जोड़ कर लिख दिया गया है कि प्रतिफल (कीमत) लेकर वह उस जमीन का अन्तरण कर सकेगा. इस प्रकार के परस्पर विरोधी उपबन्धों से यह विधेयक हास्यास्पद हो गया है. इसी आशय का खण्ड ६५ भी अनर्गल एवं ग्रामदान के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है.

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि लगान न चुकाने अथवा ग्रामदान नियम के अनुसार उपज का जालीसवां भाग न देने पर कुछ वर्षों के लिये किसान का कब्जा जमीन पर से हटा दिया जायेगा तथा उस जमीन का प्रबन्ध ग्रामदान सभा अपने हाथ में ले लेगी. यह प्रावधान भी सामन्ती मनोवृत्ति का पोषक है लगान या कोई भी कर अथवा स्वेच्छानुसार वसूल करने के लिये जमीन छुड़ाना अमानवीय कर्म है जो ग्रामदान की मूलभावना के विपरीत है. जमीन की उपज में से निर्वाह के लिये पर्याप्त अन्न छोड़कर शेष अनाज से लगान या अन्य राशियों की वसूली की जानी चाहिये. उत्पादन के साधन भूमि से किसान का कब्जा हटाना, चाहे वह कुछ दिनों के लिये ही क्यों न हो, न्यायसंगत नहीं है.

विधेयक के खण्ड ४८ (२) में ग्राम अदालत के सामने स्वयं हाजिर होने से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को छूट दी गई है इस तरह कुछ लोगों के विशेषाधिकारों को मान्यता ग्रामदान ग्राम में भी प्रदान की गई है. जो ग्राम स्वराज्य मनुष्य मात्र की समानता एवं जन्म या वैभव के कारण विशेषाधिकारों की अस्वीकृति के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है. सिविल प्रोसीजर कोड, १९०८ में ब्रिटिश शासन काल में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों जैसे राजा, नवाबों को अदालत के सामने स्वयं हाजिरी से छूट दी गई थी, अब १९७१ में उन्हीं लोगों को नये आदर्श समाज के प्रारम्भिक सोपान ग्रामदाती ग्राम की ग्राम अदालत से भी स्वयं हाजिर होने से छूट दी जाय, इससे बढ़ कर अनर्गल एवं अविवेकपूर्ण बात क्या होगी ?

२०-६-७१.

यमुनाप्रसाद शास्त्री

(दो)

भारत एक समाजवादी लोकतंत्र है. समाजवादी लोकतंत्र में समाज में व्याप्त विषमता-सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक का लोप होना अवश्यम्भावी है. आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी इसमें निहित है. हम पंचायती राज की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं. ग्राम का राज्य ग्राम पंचायतों के हाथ में जा रहा है—ऐसी स्थिति में ग्रामदान की पद्धति जैसी कि विधेयक में निहित है—असंगत है. इससे द्विविध शासन स्थापित होगा जो अन्ततः ग्रामीण समाज के हितों के प्रतिकूल होगा. अतएव ग्रामदान विधेयक जैसे उपबन्धों की कोई आवश्यकता नहीं है.

शिवप्रसाद चनपुरिया.

२०-६-७१.

प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३४ सन् १९६९

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.]

मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक, १९६९

विषय सूची

पहला अध्याय—प्रारम्भिक

खण्ड

- १ संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
- २ परिभाषाएं.
- ३ अधिनियम का, मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९६० के सम्बन्ध में के सिवाय, अध्यारोही प्रभाव होगा.

दूसरा अध्याय—[बोर्ड] मण्डल की स्थापना

- ४ [बोर्ड] मण्डल का निगमन.
- ५ [बोर्ड] मण्डल का गठन.
- ६ सभापति, उप-सभापति, सचिव तथा सदस्यों की पदावधि.
- ६-क. सदस्यता, आदि के लिये निरर्हता
- ७ त्यागपत्र तथा उसका प्रतिग्रहण.
- ८ सभापति, आदि का हटाया जाना.
- ९ रिक्तियों का भरा जाना.
- १० कार्यवाहियों की विधिमान्यता.
- ११ आफीसरो तथा सेवकों की नियुक्ति.
- १२ सभापति, उप-सभापति और सचिव को मानदेय.
- १३ आफीसरो तथा सेवकों की सेवा की शर्तें.

तीसरा अध्याय—[बोर्ड] मण्डल के काम काज का संचालक

- १४ सम्मिलन की प्रक्रिया.
- १५ [बोर्ड] मण्डल का सम्मिलन.
- १६ कार्यवृत्त.

(ब)

खण्ड

- १७ गणपूर्ति.
१८ [बोर्ड] मण्डल की निधियां.
१९ निधियों का उपयोजन.
२० [बोर्ड] मण्डल का विघटन.

चौथा अध्याय—ग्रामदान ग्राम

- २१ ग्रामदान के रूप में संदान.
२२ व्यक्ति जो भूमि का संदान किये बिना ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो सकेंगे.
२३ घोषणापत्र.
२४ ग्रामदान ग्राम के रूप में ग्राम की घोषणा.
२५ ग्रामदान ग्राम के रूप में घोषित किये जाने का प्रभाव.

पांचवां अध्याय—ग्रामदान सभा

- २६ ग्रामदान सभा की स्थापना तथा गठन.
२७ सदस्यों का रजिस्टर.
२८ ग्रामदान सभा का अध्यक्ष.
२९ ग्रामदान समिति.
३० अन्य समितियां.
३१ ग्रामदान सभा के आफिसर तथा कर्मचारी.
३२ आफिसरों तथा कर्मचारियों का हटाया जाना.
३३ ग्रामदान सभा के कामकाज का संचालन.
३४ भूमियों का सीमांकन.
३५ ग्रामदान किसान के अधिकार तथा दायित्व.
३६ [ग्रामदान किसान को वेदखल करने की शक्ति.] कतिपय पारीस्थितियों में ग्रामदान किसान को भूमि का प्रबंध लेने की शक्ति
३७ भूमि-संग्रह.
३८ भूमि का आवंटन तथा उसकी शर्तें.
३९ ग्रामदान सभा द्वारा सामान्य भूमि का प्रबन्ध.
४० ग्रामदान सभा की शोध्यों को भू-राजस्व के वकाया की भांति वसूल करने की शक्ति.
४१ वे व्यक्ति जो ग्रामदान के रूप में भूमि का संदान कर सकेंगे या ग्रामदान ग्राम में के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो सकेंगे.
४२ माध्यस्थम् मण्डल [बोर्ड].
४३ [आवंटितियों को वेदखल करने की शक्ति.] कतिपय परिस्थितियों में आवंटितियों की भूमि का प्रबंध लेने की शक्ति
४४ ग्रामदान सभा की शक्तियां तथा कृत्य.
४५ सिविल तथा दाण्डिक मामलों को विनिश्चित करने की ग्रामदान अदालत की शक्ति.
४६ कतिपय मामलों का ग्रामदान अदालत द्वारा विचारण नहीं किया जायगा.
४७ कोई भी विधि व्यवसायी उपसंज्ञात नहीं होगा.
४८ स्वीय उपसंज्ञाति से छूट.
४९ परिनिर्धारण, समझौते या शपथ पर मामलों का विनिश्चय.
५० सत्यता अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया और शक्तियां.
५१ कतिपय मामलों का नियमित न्यायालय को अन्तरण.

(स)

- ५२ मामलों का संक्षिप्त विचारण.
- ५३ मामलों के निपटारे के लिये भूमि का निरीक्षण करने की शक्ति.
- ५४ ग्रामदान अदालत द्वारा स्थानीय अन्वेषण.
- ५५ रिपोर्ट मांगने की सिविल न्यायालय की शक्तियां.
- ५६ [पुनरीक्षण.] अपील तथा पुनरीक्षण
- ५७ विनिश्चयों आदि के प्रवर्तन के सम्बन्ध में प्रक्रिया.
- ५८ ग्रामदान सभा का कार्य अविधिमान्य नहीं किया जायगा.
- ५९ अपील.
- ६० न्याय पंचायत तथा आदिवासी पंचायत से संबंधित उपबन्ध लागू नहीं होंगे.

छठवां अध्याय—ग्राम निधि

- ६१ ग्राम निधि.
- ६२ ग्राम निधि का उपयोगन.
- ६३ ग्रामदान सभा की उधार लेने की शक्तियां.
- ६४ लेखे तथा संपरीक्षा.

सातवां अध्याय—प्रकीर्ण

- ६५ ग्रामदान सभा, ग्रामदान किसान या आबटिती द्वारा धारित भूमियों के विक्रय पर निबन्धन.
 - ६६ भू-राजस्व पर अधिभार तथा कृषि आय पर कर संदाय करने का ग्रामदान सभा का दायित्व.
 - ६७ ऋणों की मात्रा कम करने के लिये आवेदन करने का ग्रामदान सभा का अधिकार.
 - ६८ ग्रामदान सभा का सहकारी सोसायटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण.
 - ६९ स्टाम्प-शुल्क आदि से छूट देने की शक्ति.
 - ७० ग्रामदान सभा को ग्राम पंचायत के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त किया जा सकेगा.
 - ७१ नियम बनाने की शक्ति.
 - ७२ उपविधियां बनाने की शक्ति.
 - ७३ विनियम बनाने की शक्ति.
 - [७४ ग्रामदान सभा का अतिष्ठान.
-

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३४ सन् १९६६

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों की वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.]

मध्यप्रदेश ग्रामदान विधेयक, १९७१

आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किये गये ग्रामदान आन्दोलन के अनुसरण में ग्रामदान ग्रामों की स्थापना के लिये तथा उसमें [संसक्त] संबंधित विषयों के लिये उपबन्ध करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के [बीसवें] बाइसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :—

पहला अध्याय—प्रारंभिक

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश ग्रामदान अधिनियम, [१९६६] संक्षिप्त नाम, विस्तार १९७१ कहा जा सकेगा. तथा प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ.

[(क)] (ड) [“वयस्थ”] “वयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयु के इक्कीस वर्ष पूर्ण कर लिये हों;

[(ख)] (क) “आवंटिती” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसे धारा ३८ के अधीन भूमि आवंटित की गई हो, और उसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वारिस तथा हित-उत्तराधिकारी आते हैं;

[(ग)] (उ) [“बोर्ड”] “मण्डल” से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश ग्रामदान [बोर्ड]; मण्डल;

[(घ)] (ख) “उप-विधियों” से अभिप्रेत है धारा ७२ के अधीन बनाई गई उपविधियां;

- [(ड)] (त) "सामान्य-भूमि" से, किसी ग्राम के संबंध में, अभिप्रेत है, उस ग्राम की बंजर भूमि और उसके अन्तर्गत ऐसी भूमि आती है जो कि उस ग्राम के सामान्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती हो या ऐसे उपयोग के लिये आरक्षित हो;
- [(च)] (ज) "घोषणा-पत्र" से अभिप्रेत है धारा २३ में निर्दिष्ट किया गया संयुक्त घोषणा-पत्र;
- [(छ)] (ङ) "ग्रामदान" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये तथा उसके उपबन्धों के अनुसार किसी ग्राम की भूमि का स्वेच्छया संदान;
- [(ज)] (च) "ग्रामदान किसान" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन उस रूप में (ग्रामदान किसान के रूप में) भूमि धारण करता है और उसके अन्तर्गत उसके वारिस तथा हित उत्तराधिकारी आते हैं;
- [(झ)] (छ) "ग्रामदान-ग्राम" से अभिप्रेत है ऐसा ग्राम जो कि धारा २४ के अधीन ग्रामदान ग्राम घोषित किया गया हो;
- [(ञ)] (ज) "ग्रामदान सभा" से अभिप्रेत है धारा २६ के अधीन स्थापित की गई ग्रामदान सभा;
- [(ट)] (ण) "वासभूमि" से अभिप्रेत है भूमि के उस भाग सहित निवास-गृह जो कि उस निवासगृह के आसपास हो तथा उससे लगा हुआ हो और उसके अन्तर्गत निवासगृह के निर्माण के लिये अभिप्रेत कोई भी खुला स्थान आता है;
- [(ठ)] (द) "स्वामी" से,—
- (एक) भूमिस्वामी अधिकारों में धारित किसी भूमि के संबंध में अभिप्रेत है भूमिस्वामी;
- (दो) राज्य सरकार से किसी अनुदान, पट्टा या समुद्देशन के अधीन धारित किसी भूमि के संबंध में, अभिप्रेत है उसका धारक; और
- (तीन) किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका कि संदान भू-दान के रूप में किया गया हो और जो ऐसे संदान के पश्चात् किये गये विधिमान्य ठहराव के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो, अभिप्रेत है उसका धारक; और
- (चार) किसी अन्य भूमि के संबंध में, अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसकी कि वह भूमि हो;
- (इ) (घ) "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत्स एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन १९६२), के अधीन स्थापित की गई ग्राम पंचायत;

[[ड]] (ठ) "भूमि" से अभिप्रेत है वह भूमि जो कि कृषि, [उद्यान-कृषि] उद्यान-कृषि या मत्स्यपालन या पशु-पालन के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाती हो या लाये जाने के योग्य हो और उसके अन्तर्गत वासभूमि आती है;

[[ण]] (ट) ["न्याय पंचायत्स"] "न्याय पंचायत" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत्स एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) की धारा २११ के अधीन स्थापित की गई न्याय पंचायत;

[[त]] (ध) "हित रखने वाले व्यक्ति" से, किसी भूमि के संबंध में, अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि में अधिकार, हक या हित का दावा करता हो और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति आता है जो कि ऐसी भूमि पर सुखाचार का अधिकार रखता हो;

[[थ]] (त) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा 73 के अधीन किसी ग्रामदान सभा द्वारा बनाया गया विनियम;

[[द]] (डा) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम का "निवासी" समझा जायगा, यदि वह मामूली तौर पर ऐसे ग्राम में निवास करता हो;

[[ध]] (घ) "ग्राम" से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व ग्राम जिसका कि राजस्व अभिलेखों में उस रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया हो.

३. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी रहेंगे किन्तु वे मध्यप्रदेश सीलिंग आन एग्जीक्यूटिव होल्डिंग्स एक्ट, १९६० (क्रमांक २० सन् १९६०) के उपबन्धों के अधधीन होंगे.

अधिनियम का, मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १९६० के संबंध में के सिवाय अभ्यारोही प्रभाव होगा.

दूसरा अध्याय—[बोर्ड] मण्डल की स्थापना

४. (१) मध्यप्रदेश ग्रामदान [बोर्ड] मण्डल के नाम से एक [बोर्ड] मण्डल की स्थापना की जायगी.

[बोर्ड] मण्डल का निगमन.

(२) [बोर्ड] मण्डल एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी, और जिसे [जंगम तथा स्थावर] दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने, अन्तरित करने तथा उसका व्ययन करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा तथा उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

(३) [बोर्ड] मण्डल का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन में सहायता देने के प्रयोजन से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे और उन्हें विभिन्न ग्रामदान ग्रामों के लिये उपलब्ध कराये;

- (ख) ग्रामदान ग्रामों के विकास में होने वाले सामान्य अनुभव का अध्ययन तथा मूल्यांकन करे;
- (ग) ग्रामदान ग्रामों के संबंध में विधि संबंधी तथा अन्य औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरी करे; और
- (घ) ग्रामदान सभा के लिये ऐसी सहायता का प्रबन्ध [करना] करे जैसी कि वह [बोर्ड] मण्डल उचित समझे.

[बोर्ड] मण्डल
का गठन.

५. (१) [बोर्ड] मण्डल में सभापति, उप-सभापति [सचिव] तथा कम से कम [पांच] सात किन्तु अधिक से अधिक [तीन] ग्यारह अन्य सदस्य होंगे

(२) सभापति, उप-सभापति, [सचिव,] तथा सदस्य, राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सर्व सेवा संध, वाराणसी के परामर्श से नाम निर्देशित किये जायेंगे.

(३) उपधारा (२) के अधीन सभापति, उप सभापति [सचिव,] तथा अन्य सदस्यों का नाम निर्देशन राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा.

सभापति उपसभा
पति, (सचिव)
तथा सदस्यों की
पदावधि.

६. धारा ५ के अधीन नामनिर्देशित सभापति, उपसभापति, [सचिव,] या अन्य सदस्य, धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये अपना पद धारण करेंगे तथा वे पुनः नाम-निर्देशन के लिये पात्र होंगे :

[परन्तु यथास्थित बहिर्गामी सभापति, उपसभापति, सचिव या सदस्य की पदावधि उक्त उपधारा के अधीन उसके उत्तराधिकारी के अधिसूचित किये जाने की तारीख के पूर्ववर्ती दिन तक बढ़ गई तथा उस दिन अवसित हुई समझी जायगी.]

परन्तु यथास्थित बहिर्गामी सभापति, उप-सभापति या सदस्य अपने उत्तराधिकारियों के नामों का धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन प्रकाशन हो जाने तक या पूर्वोक्त पदावधि के समाप्त होने की तारीख से छः मास समाप्त हो जाने तक, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, कृत्य करते रहेंगे.

सदस्यता आदि के
लिये निरहता.

६-क. कोई भी व्यक्ति मण्डल के सभापति, उप-सभापति या सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के लिये निरहित होगा यदि नियुक्ति की तारीख को—

- (क) ऐसा व्यक्ति इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो; या
- (ख) ऐसा व्यक्ति विद्वत चित्त का हो; या
- (ग) ऐसे व्यक्ति ने दिवालिया ठहराये जाने के लिये आवेदन किया हो या ऐसा व्यक्ति दिवालिया ठहराया गया हो, या दिवालिया ठहराया जाय; या
- (घ) ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्बलित हो, किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दण्डादिष्ट किया गया हो और ऐसा दण्डादेश उलटा न गया हो; या
- (ङ) ऐसा व्यक्ति, किसी पूर्व अवसर पर, मण्डल के सदस्य के पद से या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी स्थानीय

प्राधिकारी के सदस्य के पद से हटा दिया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा न्यास के किसी पदसे कुप्रबन्ध के कारण या भ्रष्टाचार के कारण हटा दिया गया हो।

(२) मण्डल का सभापति, उप-सभापति या सदस्य अपने पद पर नहीं रह जायगा,—

- (क) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्बलित हो, किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दण्डादिष्ट किया गया हो और ऐसा दण्डादेश उलटा न गया हो; या
- (ख) यदि वह विध्वस्त चित्त का हो जाय; या
- (ग) यदि उसने दिवालिया ठहराये जाने के लिये आवेदन किया हो; या वह दिवालिया ठहराया गया हो या दिवालिया ठहराया जाय।

७. (१) मण्डल का सभापति, उपसभापति, सचिव या कोई भी अन्य त्यागपत्र तथा सदस्य अपना त्यागपत्र, जिसमें उसके हस्ताक्षर हों तथा जो राज्य सरकार को संबोधित उसका प्रतिग्रहण किया गया हो, भेजकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन भेजा गया कोई भी त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रतिग्रहीत न कर लिया जाय।

८. राज्य सरकार [बोर्ड] मण्डल के सभापति, उप सभापति [सचिव] सभापति आदि का या किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी जिसने [उसकी (सरकार की) राय में] हटाया जाना अपने कर्तव्यों का पालन न किया हो या जो उनका पालन करने में असमर्थ हो या जिसने [बोर्ड] मण्डल के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि जिससे उसका सदस्य के रूप में बना रहना लोक हित के लिये अपायकर हो जाय [या जो दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो या जो ऐसे अपराध का, जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्बलित है, सिद्ध दोष ठहराया गया हो] या जो धारा ६-क की उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई निरुहताओं में से किसी भी निरुहता का दायी हो:

[परन्तु कोई भी सभापति, उप सभापति, सचिव या सदस्य तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक कि उसे कारण दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाय]

परन्तु कोई भी सभापति, उप-सभापति या सदस्य तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक कि उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या उत्तर पर सम्यकरूप से विचार न कर लिया गया हो।

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ, वाराणसी के पूर्व परामर्श के बिना नहीं की जायगी।

९. सभापति, उपसभापति, [सचिव] या किसी अन्य सदस्य की कोई रिक्ति रिक्तियों का भरा जो कि धारा ८ या धारा ७ के अधीन हो, धारा ५ में दी गई रीति में यथासाध्य शीघ्र जाना। किन्तु अधिक से अधिक छः मास के भीतर भरी जायगी:

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति उतने समय तक ही पद धारण करेगा जब तक कि सभापति, उपसभापति [सचिव] या अन्य सदस्य, जिसके कि स्थान पर वह नियुक्त किया गया था, रिक्ति के न होने की दशा में, उस पद को धारण करता।

कार्यवाहियों की विधिमान्यता.

१०. इस अधिनियम के अधीन की गई किसी भी बात या किन्हीं भी कार्यवाहियों पर, [बोर्ड] मण्डल में किसी रिक्ति के कारण या [बोर्ड] मण्डल के सभापति, उपसभापति, सचिव या किसी भी अन्य सदस्य के नाम निर्देशन में किसी दृष्टियाँ अनियमितता के कारण कोई आपत्ति नहीं उठायी जायगी.

अफिसरों तथा सेवकों की नियुक्ति.

११. [बोर्ड] मण्डल [ऐसे अफिसरों] सचिव, ऐसे अन्य पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें कि वह अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक समझे.

सभापति, उपसभापति और सचिव को मानदेय.

१२. सभापति [उपसभापति और सचिव] और उप सभापति को [बोर्ड] मण्डल की निधि में से ऐसा मानदेय चुकाया जायगा जैसा कि विहित किया जाय.

अफिसरों तथा सेवकों की सेवा की शर्तें.

१३. धारा ११ के अधीन नियुक्त [अफिसरों तथा सेवकों का] सचिव अन्य पदाधिकारियों तथा सेवकों का पारिश्रमिक तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि [बोर्ड] मण्डल द्वारा अवधारित की जायें.

तीसरा अध्याय—[बोर्ड] मंडल के कामकाज का संचालन

सम्मिलन की प्रक्रिया.

१४. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [बोर्ड] मण्डल के सम्मिलन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि [बोर्ड] मण्डल अपनी उपविधियों द्वारा अवधारित करे.

[बोर्ड] मंडल का सम्मिलन.

१५. (१) [बोर्ड] मण्डल कामकाज के संपादन के लिये समय-समय पर तथा ऐसे समय पर, जिसे कि सभापति या कार्य करने में उसके असमर्थ होने की दशा में उपसभापति अवधारित करे, सम्मिलन करेगा.

(२) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, जिसमें उसका समय तथा स्थान और उसमें संपादित किया जाने वाला कामकाज विनिर्दिष्ट रहेगा, सम्मिलन से पुरे सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजी जायगी और [बोर्ड] मण्डल के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायगी.

(३) [बोर्ड] मण्डल के प्रत्येक सम्मिलन में, सभापति तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करेगा और यदि सभापति या उपसभापति उपस्थित न हो, तो उपस्थित सदस्य, सचिव को छोड़कर अपने में से एक को सम्मिलन का सभापति चुनेंगे.

(४) समस्त प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे. पीठासीन प्राधिकारी, जब तक कि वह मतदान से विरत न रहे, प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या की घोषणा करने के पूर्व अपना मत देगा.

कार्यवृत्त.

१६. (१) उपस्थित सदस्यों के नामों के तथा [बोर्ड] मण्डल या उसकी किसी भी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के, और यदि सम्मिलन में उपस्थित कोई सदस्य चाहे तो किसी संकल्प के क्रमशः पक्ष तथा विपक्ष में मत देने वाले

सदस्यों के नामों के कार्यवृत्त, उस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली एक पुस्तक में रखे जायेंगे जिस पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा यथासाध्य शीघ्र हस्ताक्षर किये जायेंगे और किसी भी सदस्य द्वारा समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा।

(२) कार्यवृत्त देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में होंगे।

१७. (१) [बोर्ड] मण्डल के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति उन सदस्यों के गणपूर्ति।
आधे सदस्यों से होगी जिनसे कि धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन [बोर्ड] मण्डल गठित हुआ हो।

(२) यदि [बोर्ड] मण्डल के किसी सम्मिलन में गणपूर्ति न हो तो पीठासीन प्राधिकारी सम्मिलन को अगले दिन या किसी आगामी तारीख के ऐसे समय के लिये, जिसे कि वह नियत करे, स्थगित कर देगा। गणपूर्ति के अभाव में इस प्रकार मूलतः किये गये सम्मिलन में जिस कामकाज पर विचार नहीं किया जा सका हो वह कामकाज इस प्रकार नियत किये गये सम्मिलन में या किसी भी पश्चातवर्ती स्थगित सम्मिलन में, चाहे उसमें गणपूर्ति हो या न हो, प्रस्तुत किया जायगा और निपटाया जायगा, परन्तु यह तब जब कि कम से कम तीन सदस्य उपस्थित हों।

१८. [बोर्ड] मण्डल की अपनी स्वयं की निधि होगी तथा वह धारा ४ की [बोर्ड] मण्डल उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय की निधियां। सरकार या राज्य सरकार से या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से या किसी भी व्यक्ति से या निकाय से, चाहे वह निगमित हो या न हो, अनुदान, संदान, दान या उधार प्रतिग्रहीत कर सकेगा।

१९. [बोर्ड] मण्डल में निहित समस्त संपत्ति, निधि तथा समस्त अन्य निधियों का उप-
प्राप्तियां धारा ४ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किये गये प्रयोजनों के लिये उसके योजन।
द्वारा धारण तथा उपयोगित की जायगी।

२०. (१) यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि — [बोर्ड] मण्डल का विघटन।

(क) [बोर्ड] मण्डल इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये या उसे समनुदेशित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का पालन करने में युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना असफल रहा है; या

(ख) ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिनमें [बोर्ड] मण्डल इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये या उसे समनुदेशित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन या कृत्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया है या असमर्थ हो जाय; या

(ग) ऐसा करना अन्यथा समीचीन है;

तो, वह, आधसूचना द्वारा,—

(एक) खंड (क) के अधीन आने वाले मामलों में, यह निदेश दे सकेगी कि [बोर्ड] मण्डल को विघटित कर दिया जाय और ऐसी तारीख को तथा से, जिसे कि राज्य सरकार उस निमित्त नियत करे, उसे पुनर्गठित किया जाय; और

(दो) खंड (ख) या (ग) के अधीन आनेवाले मामलों में, यह निदेश दे सकेगी कि [बोर्ड] मन्डल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये अतिष्ठित कर दिया जाय जो कि एक वर्ष से अधिक न हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित करने के पूर्व राज्य सरकार, [बोर्ड] मन्डल को वे कारण संसूचित करेगी जिनके आधार पर कि वह ऐसा करना प्रस्थापित करती है, उस प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने के हेतु [बोर्ड] मन्डल के लिये एक युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी तथा उसके स्पष्टीकरण या आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन [बोर्ड] मन्डल के विघटन के लिये नियत की गई तारीख को, उसके समस्त सदस्यों और साथ ही उसके सभापति, उपसभापति तथा सचिव के संबंध में यह समझा जायगा कि उन्होंने अपने पद रिक्त कर दिये हैं और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नवीन नामनिर्देशन किये जायेंगे और नव-नियुक्त सभापति, उपसभापति, सचिव तथा अन्य सदस्य [बोर्ड] मन्डल के पुनर्गठन के लिये नियत की गई तारीख को अपने पद ग्रहण कर लेंगे।

(४) अतिष्ठान, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख के मध्याह्न से प्रभावी होगा या यदि कोई तारीख विनिर्दिष्ट न की गई हो, तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा और तदुपरान्त [बोर्ड] मन्डल के सभापति, उपसभापति एवं सचिव को सम्मिलित करते हुए उसके समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने अपने पद रिक्त कर दिये हैं।

(५) यदि राज्य सरकार की राय में उपधारा (१) के अधीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो उसके अधीन निकाली गई अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट की गई अतिष्ठान की कालावधि की वृद्धि को न्यायोचित ठहराती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अतिष्ठान की कालावधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी और कालावधि तक के लिये, जैसी कि वह आवश्यक समझे, उसके लिये कारण प्रकट करते हुए बढ़ा सकेगी :

परन्तु किसी भी दशा में उपधारा (१) के अधीन अतिष्ठान की कुल कालावधि इस उपधारा के अधीन किसी वृद्धि सहित, सब मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(६) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का या उपधारा (५) के अधीन अधिसूचित की गई वर्धित कालावधि का अवसान होने के पूर्व [बोर्ड] मन्डल का पुनर्गठन करेगी।

(७) जब इस धारा के अधीन [बोर्ड] मन्डल विघटित या अतिष्ठित कर दिया जाय, तो [बोर्ड] मन्डल की तथा उसके सभापति, उपसभापति और सचिव की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और [बोर्ड] मन्डल के तथा उसके सभापति, उपसभापति और सचिव के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन, यथास्थिति विघटन या अतिष्ठान की कालावधि के दौरान, यथाशक्य तथा ऐसी सीमा तक, जिसे राज्य सरकार अवधारित करे ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियुक्त करे, किया जायगा।

(८) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ वाराणसी के पूर्व परामर्श के बिना नहीं की जायगी।

चौथा अध्याय—ग्रामदान ग्राम

२१. (१) भूमि का कोई भी स्वामी, जो संविदा करने के लिये अन्यथा ग्राम दान के रूप सक्षम हो, ग्राम में की अपनी समस्त भूमियों का ग्रामदान के रूप में संदान, ऐसे प्ररूप में संदान, तथा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो कि विहित किया जाय, उस प्रभाव की एक घोषणा फाइल करके, कर सकेगा :

परन्तु किसी स्वामी द्वारा, राज्य सरकार से, किसी अनुदान, पट्टे या सम-नुदेशन के अधीन उसके द्वारा स्थायी अधिकारों के विना धारित की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में, फाइल की गई कोई भी ऐसी घोषणा तब तक विधिमाम्य नहीं होगी जब तक की वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से फाइल न की गई हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन ग्रामदान के रूप में कोई भी संदान इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा कि संदान करने वाला भूमि का स्वामी:—

(एक) ऐसे संदान में सम्मिलित वास-भूमि, यदि कोई हो, में समाविष्ट भूमि को;

(दो) ऐसे भूमि के विस्तार के उन्नीस-बीसवें भाग से अधिक अन्य भूमियों को,

इस आधेनियम के अधीन ग्रामदान किसान के रूप में धारण करेगा:

परन्तु जहाँ किसी ऐसे स्वामी ने ग्राम में की अपनी भूमियों में से किसी भी भूमि का भू-दान के रूप में संदान किया हो, वहाँ यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो कि इस प्रकार संदान की गई भूमियाँ उसकी भूमियों के कुल विस्तार में सम्मिलित थी.

(३) उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक घोषणा में उस भूमि का अनुपात विनिर्दिष्ट होगा जिसे कि स्वामी ग्रामदान किसान के रूप में अपने कब्जे में प्रतिधारित करेगा, किन्तु ऐसा अनुपात वास-भूमि से भिन्न ऐसी भूमि के उन्नीस-बीसवें भाग से अधिक नहीं होगा.

(४) उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक घोषणा में यह परिवचन भी अन्तर्विष्ट होगा कि स्वामी—

(एक) उस ग्राम के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होगा; और

(दो) ग्रामदान सभा को, समुदाय के प्रयोजनों के लिये,—

(क) संदान के अनन्यतः वास-भूमि से संबंधित होने की दशा में, धारा २२ की उपधारा (१) के खण्ड (दो) के उपबन्धों के अनुसार; और

(ख) अन्य मामलों में, धारा ३५ की उपधारा (१) के खंड (च) के उपबन्धों के अनुसार,

नियतकालिक अभिदाय करेगा.

(५) विहित प्राधिकारी, इस घोषणा के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, एक विवरण तैयार करवायेगा, जिसमें—

(एक) स्वामी द्वारा उपधारा (१) के अधीन संदान की गई भूमियों का नाम तथा वर्णन;

(दो) ऐसी भूमियों का विस्तार तथा सीमांकन; और

(तीन) भूमि का संदान करने वाले स्वामी के तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसी भूमि पर के अधिकार हक और हित, जहां तक कि वे अभिनिश्चित किये जा सकते हों,

अन्तर्विष्ट होंगे.

(६) उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक घोषणा तथा उस घोषणा के संव्रध में उपधारा (५) के अधीन तैयार किया गया विवरण, विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर, ऐसी सूचना के साथ प्रकाशित किया जायगा जो कि भूमि में हित रखने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों से यह अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे प्रकाशन के तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, लिखित में विहित प्राधिकारी के पास भेज दें.

(७) उपधारा (६) में विनिर्दिष्ट की गई तीस दिन की कालावधि का अवसान हो जाने पर, विहित प्राधिकारी, प्राप्त हुई आपत्तियों पर, यदि कोई हों विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, आदेश द्वारा, या तो घोषणा की पुष्टि कर सकेगा या उसकी पुष्टि करने से इंकार कर सकेगा और पूर्व कथित दशा में, विहित प्राधिकारी उस विवरण को, जिससे कि घोषणा संबंधित है, अन्तिम रूप देगा.

(८) विहित प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश द्वारा, जो कि उपधारा (७) के अधीन दिया गया हो, व्ययित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर ऐसे अपीली प्राधिकारी को जो कि विहित किया जाय, अपील फाइल कर सकेगा और अपीली प्राधिकारी के विनिश्चय के अधीन रहते हुए ऐसा आदेश अन्तिम होगा.

(९) उस घोषणा का, जिसकी कि विहित प्राधिकारी ने, आदेश द्वारा, उपधारा (७) के अधीन पुष्टि करने से इंकार कर दिया हो, उस समय तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि ऐसी घोषणा की, उपधारा (८) के अधीन अपील में, यदि कोई हो, पुष्टि न कर दी जाय.

(१०) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन घोषणा फाइल कर दी हो, तत्पश्चात् किसी ऐसी भूमि का, जिसके कि संबंध में घोषणा फाइल की गई हो, अन्तरण करने, बसीयत करने या उस पर कोई अभिभार सृजित करने के लिये तब तक सक्षम नहीं होगा, जब तक कि इस धारा की उपधारा (७) के अधीन आदेश, जिसमें कि घोषणा की पुष्टि करने से इंकार किया गया हो अन्तिम न हो जाय, या उस ग्राम को, जिसमें कि वह भूमि स्थित है, ग्रामदान ग्राम होने के लिये अनर्हित घोषित करते हुए धारा २४ की उपधारा (३) के अधीन आदेश न दिया जाय या ग्रामदान के रूप में किये गये संदान को विखंडित करते हुए धारा २५ के अधीन आदेश न दिया जाय.

(११) उपधारा (१०) के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्तरण या की गई बसीयत या सृजित किया गया कोई भी अभिभार शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगा.

२२. (१) ग्राम में निवास करने वाला कोई भी [व्ययस्थ,] व्ययस्क जिसने धारा २१ के अधीन ग्रामदान के रूप में सदान न किया हो, विहित प्ररूप तथा रीति में सदान किये बिना और विहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणा—
ग्रामदान समुदाय सम्मिलित हो सकेंगे

- (एक) उस ग्राम के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होने का, और
(दो) अपनी आय के तीसवें भाग का या ऐसे अन्य अल्पतर अनुपात का जो कि विहित किया जाय, सामुदायिक प्रयोजनों के लिये नियत-कालिक अभिदाय करने का, जिसका कि सदाय ऐसे समय के भीतर किया जायगा जैसा कि विहित किया जाय,

परिचयन देते हुए, फाइल कर सकेगा.

(२) उपधारा (१) के खंड (दो) के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति की आय ऐसी रीति में अवधारित की जायगी जैसी कि विहित की जाय.

(३) विहित प्राधिकारी, घोषणा प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उसे, विहित रीति में, ऐसी सूचना सहित प्रकाशित करेगा जो कि समस्त व्यक्तियों को इस बात के लिये अपेक्षित करेगी कि वे उसके पास अपनी अपत्तियां, यदि कोई हों, ऐसे प्रकाशन के तीस दिन के भीतर लिखित में भेज दें.

(४) धारा २१ की उपधारा (७) से (९) तक की उपधारायें इस धारा की उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई घोषणा को उसी रीति में लागू होंगी जिस रीति में कि वे धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई घोषणा को लागू होती हैं.

(५) इस धारा की उपधारा (१) के अधीन घोषणा उसमें निर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों द्वारा या तो व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से की जा सकेगी.

२३. कोई भी व्यक्ति, जो यथास्थिति धारा २१ या धारा २२ के उपबन्धों के घोषणा-पत्र. अधीन ग्रामदान के रूप में भूमि का सदान करने की या ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होने की प्रस्थापना करे, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय घोषणा-पत्र पर, ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, हस्ताक्षर करेगा जो कि उक्त उपबन्धों के अधीन ग्रामदान के रूप में भूमि का सदान करने की या ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होने की प्रस्थापना करे.

२४. (१) जहां, किसी ग्राम में—

ग्रामदान ग्राम के रूप में ग्राम की

(क) उन भूमियों का विस्तार जिनके कि बारे में धारा २१ के अधीन: घोषणा.

फाइल की गई घोषणाओं की पुष्टि की जा चुकी हो; उस ग्राम में निवासी प्राइवेट स्वामियों के स्वामित्व की भूमियों के कुल विस्तार के [इक्वावन] पचहत्तर प्रतिशत से कम न हो;

(ख) उन व्यक्तियों की, जिनकी घोषणाओं की इस प्रकार पुष्टि की जा चुकी हो, संख्या ग्राम में भूमि पर स्वामित्व रखने वाले तथा निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के [पचहत्तर] नब्बे प्रतिशत से कम न हो; और

(ग) ग्राम के उन [व्यस्थ] व्यस्क निवासियों की, जिनके बारे में धारा २१ या धारा २२ के अधीन की गई घोषणाओं की पुष्टि की जा चुकी हो, संख्या उस ग्राम में निवास करने वाले [व्यस्थों] व्यस्कों की संख्या के [पचहत्तर] नब्बे प्रतिशत से कम न हो;

वहां विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, अधिसूचना द्वारा, उस ग्राम को, राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ग्रामदान ग्राम घोषित करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थान में सम्प्रदर्शित की जायगी तथा अन्य प्रति यथास्थिति जिले के कलेक्टर के, या उप-खण्ड के उप-खण्ड आफिसर के कार्यालय में किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाई जायगी और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना का सार भी विहित रीति में प्रकाशित किया जायगा।

(३) जहां उपधारा (१) में वर्णित शर्तों की पूर्ति युक्तियुक्त समय के भीतर न हो, वहां विहित प्राधिकारी विहित रीति में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि ग्राम ग्रामदान ग्राम होने के लिये अर्हित नहीं है और तदुपरान्त धारा २१ या धारा २२ के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पुष्टि की जा चुकी थी, प्रभावहीन हो जायेगी।

ग्रामदान ग्राम के रूप में घोषित किये जाने का प्रभाव.

२५. (१) उस तारीख से जिससे कि कोई ग्राम ग्रामदान ग्राम घोषित कर दिया जाय,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के, जिनकी घोषणाओं की धारा २१ के अधीन पुष्टि की जा चुकी हो, ऐसी घोषणाओं द्वारा आवृत्त भूमियों में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, खत्म हो जायेंगे और उस ग्रामदान ग्राम के लिये स्थापित की गई ग्रामदान सभा को अन्तर्गत हो जायेंगे तथा उसमें निहित हो जायेंगे;

(ख) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की गई भूमियों को, यदि कोई हो, छोड़कर ग्राम की समस्त सामान्य भूमिय का ग्रामदान सभा द्वारा प्रबन्ध किया जायगा;

(ग) ग्रामदान सभा धारा २१ की उपधारा (४) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) में तथा धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (दो) में निर्दिष्ट किये गये अभिदायों को प्राप्त करने की हकदार होगी ;

(घ) ग्रामदान सभा—

(एक) ग्रामदान सभा में, निहित भूमियों के बारे में भू-राजस्व, भाटक, उपकरो, रेटों तथा करों के, जो भूमि का सदान न किया जाने की दशा में दाताओं द्वारा देय होते, सदाय के लिये, इस बात को दृष्टि में रखे बिना कि दायित्व, निहित होने की तारीख के पूर्व या उसके पश्चात् उत्पन्न हुआ और

(दो) ग्रामदान सभा में निहित किसी भूमि के बारे में, धारा २१ के अधीन उसके बारे में घोषणा फाइल करने की तारीख के पूर्व, सृजित समस्त अभिभारों के उन्मोचन के लिये;

दायी होगी:

परन्तु भूमि के ऐसे निहित होने की तारीख को शोध्य किसी भू-राजस्व, भाटक, उपकरों, रेंटों या करों के संदाय के संबंध में या भूमि के ऐसे निहित होने की तारीख के पूर्व सृजित किसी अभिभार के उन्मोचन के संबंध में, जिसके कि लिये ग्रामदान सभा इस प्रकार दायी है, ग्रामदान सभा इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह उसके लिये अपेक्षित रकम, ऐसे संदाय या उन्मोचन के पूर्व या पश्चात् सम्पुक्त स्वामी से, जिसने कि ग्रामदान के रूप में भूमि का संदान किया हो, स प्रकार वसूल करे मानो कि वह रकम ग्रामदान सभा को शोध्य रकम थी :

परन्तु यह और भी कि जहां किसी मामले में ग्रामदान सभा को प्रतीत हो कि ग्रामदान के रूप में संदान की गई भूमि के बारे में अभिभार तथा अन्य दायित्व अत्यधिक हैं या किसी अन्य कारण से उसकी यह राय हो कि ऐसे दायित्वों के उन्मोचन का भार अपने ऊपर लेना वांछनीय नहीं है वहां ग्रामदान सभा, उस व्यक्ति को, जिसकी कि वह भूमि ग्रामदान न किये जाने की दशा में होती, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ग्रामदान के रूप में किये गये संदान को आदेश द्वारा विखंडित कर सकेगी, और तदुपरांत उन भूमियों में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित ऐसे व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेंगे और उन भूमियों के बारे में ग्रामदान सभा के समस्त दायित्वों, सिवाय उन दायित्वों के, यदि कोई हों, जो कि ग्रामदान सभा में संपत्ति के निहित रहने की कालावधि के दौरान उत्पन्न हुए हों, खत्म हो जायेंगे और पूर्वोक्त ग्रामदान के बारे में धारा २१ के अधीन फाइल की गई घोषणा प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(ड) उन भूमियों के बारे में जो कि ग्रामदान ग्रामों में स्थित हों और जिनके बारे में धारा २१ या धारा ४१ के अधीन ग्रामदान के रूप में संदान नहीं किया गया हो, शोध्य भू-राजस्व, उप-कर, रेंट तथा कर उनके लिये दायी व्यक्ति द्वारा ग्रामदान सभा को देय होंगे :

परन्तु इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त रकमें, ऐसे संग्रहण संबंधी प्रभार, जो कि विहित किये जायें, काट लेने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, राज्य सरकार को प्रेषित की जायेंगी.

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने ग्रामदान के रूप में भूमि का संदान किया हो, इस प्रकार संदान की गई भूमि का कब्जा तब तक धारण किये रह सकेगा जब तक कि धारा ३४ के अधीन ऐसी भूमि का सीमांकन न कर दिया जाय.

(३) ऐसे सीमांकन पर, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कि भूमि का संदाय किया हो,

(क) वास भूमि में समाविष्ट भूमि के; और

(ख) उस भूमि के, जो कि ग्रामदान किसान के तौर पर प्रतिधारित की जानी हो,

सिवाय उस भूमि का, जिसका कि इस प्रकार संदान किया गया हो, कब्जा अभ्यर्पित कर देगा.

- (ग) ग्राम के उन [व्यक्ती] व्यक्ती निवासियों की, जिनके बारे में धारा २१ या धारा २२ के अधीन की गई घोषणाओं की पुष्टि की जा चुकी हो, संख्या उस ग्राम में निवास करने वाले [व्यक्ती] व्यक्ती की संख्या के [पचहत्तर] नब्बे प्रतिशत से कम न हो;

वहां विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, अधिसूचना द्वारा, उस ग्राम को, राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ग्रामदान ग्राम घोषित करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थान में सम्प्रदशित की जायगी तथा अन्य प्रति यथास्थिति जिले के कलेक्टर के, या उप-खण्ड के उप-खण्ड आफिसर के कार्यालय में किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाई जायगी और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना का सार भी विहित रीति में प्रकाशित किया जायगा।

(३) जहां उपधारा (१) में वर्णित शर्तों की पूर्ति युक्तियुक्त समय के भीतर न हो, वहां विहित प्राधिकारी विहित रीति में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि ग्राम ग्रामदान ग्राम होने के लिये अर्हित नहीं है और तदुपरान्त धारा २१ या धारा २२ के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पुष्टि की जा चुकी थी, प्रभावहीन हो जायेगी।

ग्रामदान ग्राम के रूप में घोषित किये जाने का प्रभाव.

२५. (१) उस तारीख से जिससे कि कोई ग्राम ग्रामदान ग्राम घोषित कर दिया जाय,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के, जिनकी घोषणाओं की धारा २१ के अधीन पुष्टि की जा चुकी हो, ऐसी घोषणाओं द्वारा आवृत्त भूमियों में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, खत्म हो जायेंगे और उस ग्रामदान ग्राम के लिये स्थापित की गई ग्रामदान सभा को अन्तरित हो जायेंगे तथा उसमें निहित हो जायेंगे;

(ख) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की गई भूमियों को, यदि कोई हो, छोड़कर ग्राम की समस्त सामान्य भूमियां का ग्रामदान सभा द्वारा प्रबन्ध किया जायगा;

(ग) ग्रामदान सभा धारा २१ की उपधारा (४) के खण्ड (दो) के उपखंड (ख) में तथा धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (दो) में निर्दिष्ट किये गये अभिदायों को प्राप्त करने की हकदार होगी ;

(घ) ग्रामदान सभा—

(एक) ग्रामदान सभा में, निहित भूमियों के बारे में भू-राजस्व, भाटक, उपकरो, रेंटों तथा करों के, जो भूमि का सदान न किया जाने की दशा में दाताओं द्वारा देय होते, संदायके लिये, इस बात को दृष्टि में रखे बिना कि दायित्व, निहित होने की तारीख के पूर्व या उसके पश्चात् उत्पन्न हुआ; और

(दो) ग्रामदान सभा में निहित किसी भूमि के बारे में, धारा २१ के अधीन उसके बारे में घोषणा फाइल करने की तारीख के पूर्व, सृजित समस्त अभिभारों के उन्मोचन के लिये;

दायी होगी:

परन्तु भूमि के ऐसे निहित होने की तारीख को शोध्य किसी भू-राजस्व, भाटक, उपकरों, रेंटों या करों के संदाय के संबंध में या भूमि के ऐसे निहित होने की तारीख के पूर्व सृजित किसी अभिभार के उन्मोचन के संबंध में, जिसके लिये ग्रामदान सभा इस प्रकार दायी है, ग्रामदान सभा इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह उसके लिये अपेक्षित रकम, ऐसे संदाय या उन्मोचन के पूर्व या पश्चात् सम्पूक्त स्वामी से, जिसने कि ग्रामदान के रूप में भूमि का संदान किया हो, स प्रकार वसूल करे मानो कि वह रकम ग्रामदान सभा को शोध्य रकम थी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ किसी मामले में ग्रामदान सभा को प्रतीत हो कि ग्रामदान के रूप में संदान की गई भूमि के बारे में अभिभार तथा अन्य दायित्व अत्यधिक हैं या किसी अन्य कारण से उसकी यह राय हो कि ऐसे दायित्वों के उन्मोचन का भार अपने ऊपर लेना वांछनीय नहीं है वहाँ ग्रामदान सभा, उस व्यक्ति को, जिसकी कि वह भूमि ग्रामदान न किये जाने की दशा में होती, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ग्रामदान के रूप में किये गये संदान को आदेश द्वारा विखंडित कर सकेगी, और तदुपरांत उन भूमियों में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित ऐसे व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेंगे और उन भूमियों के बारे में ग्रामदान सभा के समस्त दायित्वों, सिवाय उन दायित्वों के, यदि कोई हों, जो कि ग्रामदान सभा में संपत्ति के निहित रहने की कालावधि के दौरान उत्पन्न हुए हों, खत्म हो जायेंगे और पूर्वोक्त ग्रामदान के बारे में धारा २१ के अधीन फाइल की गई घोषणा प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(ड) उन भूमियों के बारे में जो कि ग्रामदान ग्रामों में स्थित हों और जिनके बारे में धारा २१ या धारा ४१ के अधीन ग्रामदान के रूप में संदान नहीं किया गया हो, शोध्य भू-राजस्व, उप-कर, रेंट तथा कर उनके लिये दायी व्यक्ति द्वारा ग्रामदान सभा को देय होंगे :

परन्तु इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त रकमें, ऐसे संग्रहण संबंधी प्रभार, जो कि विहित किये जायें, काट लेने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, राज्य सरकार को प्रेषित की जायेंगी.

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने ग्रामदान के रूप में भूमि का संदान किया हो, इस प्रकार संदान की गई भूमि का कब्जा तब तक धारण किये रह सकेगा जब तक कि धारा ३४ के अधीन ऐसी भूमि का सीमांकन न कर दिया जाय.

(३) ऐसे सीमांकन पर, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कि भूमि का संदाय किया हो,

(क) वास भूमि में समाविष्ट भूमि के; और

(ख) उस भूमि के, जो कि ग्रामदान किसान के तौर पर प्रतिधारित की जानी हो,

सिवाय उस भूमि का, जिसका कि इस प्रकार संदान किया गया हो, कब्जा अभ्यर्पित कर देगा.

(४) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कि ग्रामदान के रूप में भूमि का सदान किया हो, उपधारा (३) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गई भूमि तथा उस भूमि के बारे में, जो कि वास-भूमि में समाविष्ट हो, ग्रामदान किसान के तौर पर अधिकार प्राप्त होंगे.

पांचवां अध्याय—ग्रामदान सभा

ग्रामदान सभा की २६. (१) राज्य सरकार, धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन अधि-
स्थापना तथा गठन. सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ग्रामदान ग्राम के लिये ग्रामदान सभा की स्थापना अधिसूचना द्वारा करेगी.

(२) ग्रामदान सभा में ऐसे समस्त [वयस्थ] वयस्क होंगे जो :—

(एक) ग्रामदान ग्राम के निवासी हों; या

(दो) जिन्होंने धारा २१ के अधीन ग्रामदान के रूप में भूमि का सदान किया हो:

परन्तु कोई व्यक्ति ग्रामदान सभा का सदस्य होने के लिये निरहित होगा यदि वह :—

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो.

(३) ग्रामदान सभा एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संविदायें करने तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, उसका प्रबन्ध करने या उसका व्ययन करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उसी नाम से इसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

सदस्यों का रजिस्टर. २७. ग्रामदान सभा की स्थापना हो जाने पर, विहित प्राधिकारी ग्रामदान सभा के समस्त सदस्यों का विहित प्ररूप में एक रजिस्टर तैयार करवायेगा तथा उस प्रकार तैयार किया गया रजिस्टर ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, पुनरीक्षित तथा अद्यतन किया जायगा.

ग्रामदान सभा का अध्यक्ष. २८. (१) ग्रामदान सभा, विहित रीति में, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी जो कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विनियमों द्वारा विहित किये जायें.

(२) अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष होगी.

२६. (१) प्रत्येक ग्रामदान सभा एक ग्रामदान समिति का गठन करेगी ग्रामदात समिति जिसमें ग्रामदान सभा का अध्यक्ष तथा पांच से अत्युन ऐसी संख्या में, जैसी कि ग्रामदान सभा अवधारित करें, अन्य सदस्य होंगे.

(२) ग्रामदान समिति के सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) ग्रामदान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में, निर्वाचित किये जायेंगे.

(३) ग्रामदान सभा का अध्यक्ष ग्रामदान समिति का अध्यक्ष होगा.

(४) ग्रामदान समिति के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी.

(५) ग्रामदान समिति ग्रामदान सभा की कार्यपालिका निकाय होगी और ग्रामदान सभा की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग, उसके उन समस्त कर्तव्यों का निर्वहन तथा उसके उन समस्त कृत्यों का पालन करेगी जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या अधिरोपित किये गये हों.

३०. (१) ग्रामदान सभा—

अन्य समितियां.

(क) इतनी स्थायी समितियों का, जितनी कि वह ग्रामदान सभा की ऐसी शक्तियों के प्रयोग, ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन तथा ऐसे कृत्यों के पालन के लिये, जो कि विनियमों द्वारा विहित किये जायें, आवश्यक समझे,

(ख) इतनी तदर्थ समितियों का, जितनी कि वह किसी मामले की, जिसे कि वह उनकी निर्देशित करे, जांच करने या उसके संबंध में रिपोर्ट देने तथा सलाह देने के लिये आवश्यक समझे,

गठन कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट की गई समितियां विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में गठित की जायेंगी [और ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी रीति में, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जायें, विघटित या पुनर्गठित की जा सकेंगी].

३१. ग्रामदान सभा—

ग्रामदान सभा के
आफीसर तथा
कर्मचारी.

(क) सचिव को, जो कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जो उसको अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें;

(ख) ऐसे अन्य आफीसरों तथा कर्मचारियों को, जो कि उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक हों,

नियुक्त कर सकेगी.

३२. ग्रामदान सभा ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी रीति में, जो कि आफीसरों तथा कर्म-विनियमों द्वारा विहित की जाय, अध्यक्ष को पद से या सचिव अथवा अन्य आफीसर चारियों का हटाया अथवा कर्मचारी को सेवा से हटा सकेगी.

जाना.

ग्रामदान सभा के कामकाज का संचालन.

३३. ग्रामदान सभा, ग्रामदान समिति तथा अन्य समितियों का कामकाज ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाय, संचालित किया जायगा तथा ऐसे विनियम ऐसे मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिनमें कि ग्रामदान सभा या उसकी समितियों के विनिश्चय [एक मत्व या लगभग एक मत्व] दो तिहाई बहुमत के आधार पर होंगे.

[स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिये किसी सम्मिलन में किया गया विनिश्चय लगभग एक मत्व के आधार पर किया गया समझा जायगा। यदि यथास्थिति ग्रामदान सभा के, ग्रामदान समिति के या समितियों के उस सम्मिलन के उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के दस प्रतिशत से अधिक सदस्यों ने उसका विरोध न किया हो.]

भूमियों का सीमांकन

३४. (१) किसी ग्राम को ग्रामदान ग्राम के रूप में घोषित किये जाने के पश्चात् यथासंभव और, ग्रामदान सभा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के परामर्श से, जिसने कि किसी भूमि का सदान किया हो, उस भूमि का सीमांकन करेगी जो कि उसके द्वारा ग्रामदान किसान के तौर पर प्रतिधारित की जानी हो.

(२) जहां ग्रामदान सभा के और किसी ऐसे व्यक्ति के जिसने कि भूमि का सदान किया हो, बीच, उपधारा (१) के अधीन भूमि के सीमांकन के बारे में कोई विवाद हो [वहां ग्रामदान] वहां ग्रामदान सभा ऐसे विवाद को किसी माध्यस्थम् [बोर्ड] मण्डल द्वारा माध्यस्थम् किया जाने के लिये इस प्रकार निर्देशित करेगी मानो कि वह भूमि के आवंटन के बारे में विवाद हो, और धारा ४८ के उपबन्ध ऐसे माध्यस्थम् को, आवश्यक उपान्तरण के साथ लागू होंगे.

ग्रामदान किसान के अधिकार तथा दायित्व.

३५. (१) ग्रामदान किसान, ग्रामदान किसान के तौर पर उसके द्वारा धारित भूमियों के बारे में, वे अधिकार रखेगा तथा उन दायित्वों के अधधीन होगा जो कि नीचे विनिर्दिष्ट किये गये हैं :—

(क) सदान के दिये जाने के अव्यवहित पूर्व उसके कब्जे की भूमि के मामले में, वह उसका कब्जा रखने का हकदार होगा और उसको, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर ऐसा कब्जा रखने में उसकी सम्मति के बिना ग्रामदान सभा द्वारा विघ्न नहीं पहुंचाया जायगा;

(ख) किसी ऐसी भूमि के मामले में, जो उसके सदान में दिये जाने के अव्यवहित पूर्व किसी पट्टे के अधीन हो, उसे, भूपति से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसका कब्जा प्रत्युद्धृत करने का अधिकार होगा मानो कि वह उसका पट्टा कर्ता रहा हो, तथा पट्टे का पर्यवसन होने तक उसे ऐसी भूमि के संबंध में पट्टेदार द्वारा देय भाटक बसूल करने का भी अधिकार होगा;

(ग) ऐसी भूमि के मामले में जो उसके सदान में दिये जाने के अव्यवहित पूर्व, कब्जे सहित बंधक के अधधीन हो, उसे ग्रामदान सभा द्वारा बन्धक के मोचन के पश्चात् उसका कब्जा लेने का अधिकार रहेगा, यदि वह ग्रामदान सभा को बन्धक-मोचन के प्रयोजन के लिये चुकाई गई रकम, उससे संसक्त समस्त व्ययों सहित, चुका दें;

(घ) वह ऐसी भूमियों के बारे में देय भू-राजस्व, भाटक, उपकरणों, रेंटों तथा करों के बराबर रकम ग्रामदान सभा को चुकाने के लिये दायी होगा;

(ङ) ऐसी भूमि पर ग्रामदान किसान के तीर पर उसके आधिकार दाय योग्य होंगे किन्तु अन्तरणीय या वसीयत योग्य नहीं होंगे;

परन्तु ग्रामदान किसान,—

(एक) ऐसी भूमि में या उसके किसी भाग में के अपने हित को प्रतिफल के लिये, ग्रामदान सभा को अभ्यर्पित कर सकेगा.

(दो) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किया जाय, ग्रामदान सभा की पूर्व अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति को, जो उस ग्राम के संबंध में जिसमें कि ऐसी भूमि स्थित हो ग्रामदान में समुदाय में धारा २१ या धारा २२ या ४१ अधीन सम्मिलित हो गया हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जिनका कि उनके बीच करार हो जाय, ऐसी भूमियों या उनके किसी भाग में के अपने हित का अन्तरण कर सकेगा;

(तीन) यथास्थिति राज्य सरकार या सहकारी सोसायटी या अन्य लोक संस्था से उधार लिये गये किसी वन के संदाय को सुनिश्चित करने के लिये, ऐसी भूमियों या उनके किसी भाग में के अपने हित का राज्य सरकार या किसी सहकारी सोसायटी या किसी अन्य लोक संस्था के पक्ष में आड़ मान कर सकेगी.

(च) वह ग्रामदान सभा को ऐसी भूमि की उपज के चालीसवें भाग का या उपज के ऐसे अन्य अल्पतर भाग का, जैसा कि ग्रामदान सभा नियत करे, या उसके नगद मूल्य का प्रतिवर्ष अभिदाय करेगा.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह ग्रामदान किसान को कोई ऐसा अधिकार प्रदान करती है जिसे कि वह भूमि का संदान करने के अव्यवहित पूर्व नहीं रखता था.

३६. [(१) यदि कोई ग्रामदान किसान—

[ग्रामदान किसान को बेदखल करने की शक्ति]

(एक) उसके द्वारा उस रूप में धारित किसी भूमि के बारे में धारा ३५ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में की गई कोई रकम या अभिदाय ग्रामदान सभा को न चुकाये;

(दो) उसके द्वारा उस रूप में धारित किसी भूमि को धारा ३५ की उपधारा (१) के खण्ड (ङ) के उपबन्धों के प्रतिकूल अन्तरित करें;

[ग्रामदान किसान की शक्ति]

(तीन) उसके द्वारा उस रूप में कब्जे में धारित किसी भूमि पर लगातार दो वर्ष तक पर्याप्त कारण के बिना खेती करने में चूक करे; या

परन्तु आवंटिती भूमि में के या उसके किसी भाग में के हित को प्रतिफल के लिये, ग्रामदान सभा को अभ्यर्पित कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि जहां भूमि में के हित का अन्तरण आवंटन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व किया जाय, वहां कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा :

परन्तु यह [और] भी कि आवंटिती ग्रामदान सभा की पूर्व अनुज्ञा से—

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उस ग्राम के संबंध में, जिसमें कि ऐसी भूमि स्थित हो, ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो गया हो, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिनका कि उनके बीच करार हो जाय, ऐसी भूमि में के या उसके किसी भाग में के अपने हित का अन्तरण कर सकेगा ;

(दो) ऐसी भूमि या उसके किसी भाग में के अपने हित का, राज्य सरकार या किसी सहकारी सोसायटी या किसी अन्य लोक संस्था के पक्ष में, ऐसी सरकार या सहकारी सोसायटी या संस्था से उपहार लिये गये किसी धन के संदाय को सुनिश्चित करने के लिये आडमान कर सकेगा ;

(ग) धारा ४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आवंटिती को, उसकी सम्मति के बिना ग्रामदान सभा द्वारा, ऐसी भूमि का कब्जा रखने में विघ्न नहीं पहुंचाया जायेगा ;

(घ) आवंटिती ग्रामदान सभा को ऐसी भूमि के उपज के चालीसवें भाग का या उपज के ऐसे अन्य अल्पतर भाग का, जैसा कि ग्रामदान सभा नियत करे, या उसके नगद मूल्य का प्रतिवर्ष अभिदाय करेगा.

(३) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह आवंटिती को कोई ऐसे अधिकार प्रदान करती है जिन्हें कि ग्रामदान सभा आवंटन करने के अव्यवहित पूर्व नहीं रखती थी.

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिये "भूमिहीन व्यक्ति" के अन्तर्गत वह व्यक्ति आवेगा जो कि ऐसे क्षेत्र से, जो कि विहित किया जाय, अधिक भूमि का स्वामित्व न रखता हो या उसे धारण न करता हो.

ग्रामदान सभा द्वारा सामान्य भूमि का प्रबन्ध.

३६. (१) राज्य सरकार, ग्रामदान ग्राम में की ऐसी सामान्य भूमियों का ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, ग्रामदान सभा में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, किसी लोक प्रयोजन के लिये निहित कर सकेगी, और राज्य सरकार, वैसी ही रीति में, किसी ऐसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगी जिसके उपरान्त ग्रामदान सभा के ऐसी भूमि पर के समस्त अधिकार खत्म हो जायेंगे और उक्त भूमियां राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेंगी.

(२) राज्य सरकार, किसी भी समय, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, धारा २५ के खण्ड (ख) के अनुसरण में ग्रामदान सभा द्वारा प्रबंधित किसी सामान्य भूमि के प्रबन्ध का, किसी लोक प्रयोजन के लिये, पुनर्ग्रहण कर सकेगी.

४०. भू-राजस्व, उपकरों, रेटों या करों के कोई बकाया या अधिदाय के रूप में या अन्यथा ग्रामदान सभा को शोध्य कोई अन्य राशि, ग्रामदान सभा द्वारा कलेक्टर को जारी किये गये प्रमाणपत्र पर, भू-राजस्व के बकाया की भांति कलेक्टर द्वारा वसूल की जायगी तथा ग्रामदान सभा को चुकाई जायगी।

ग्रामदान सभा की शोध्यों को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की शक्ति.

४१. (१) ग्रामदान ग्राम में भूमि धारण करने वाला भूमि का कोई भी स्वामी, जो अप्राप्तवय न हो, अपनी समस्त भूमियों का उसी रीति में तथा उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि धारा २१ के अधीन संदान के मामले में उपबन्धित है, ग्रामदान के रूप में संदान कर सकेगा और तदुपरान्त उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध यथाशक्य उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि ऐसा संदान उस धारा के अधीन किया गया हो :

वे व्यक्ति जो ग्राम दान के रूप में भूमि का संदान कर सकेगा या ग्रामदान ग्राम में के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो सकेंगे.

परन्तु इस धारा के अधीन की गई किसी भी घोषणा की पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, ग्रामदान सभा के अनुमोदन के बिना नहीं की जायगी.

(२) उस तारीख से, जिसको कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट की गई घोषणा की पुष्टि की गई हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति के, जिसकी घोषणा की इस प्रकार से पुष्टि की गई हो ऐसी घोषणा द्वारा आवृत्त भूमियों में तथा उन पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित, इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, खत्म हो जायेंगे और उस ग्रामदान ग्राम के लिये स्थापित ग्रामदान सभा को अन्तर्गत हो जायेंगे तथा उसमें निहित हो जायेंगे.

(३) ग्रामदान ग्राम में निवास करने वाला कोई भी [व्यस्थ] व्यस्क, जिसने धारा २१ के या इस धारा की उपधारा (१) के अधीन ग्रामदान के रूप में संदान न किया हो, उसी रीति में तथा उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, जो धारा २२ की उपधारा (१) में उपबन्धित है, ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो सकेगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध यथाशक्य उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि ऐसी घोषणा धारा २२ की उपधारा (१) के अधीन की गई हो.

४२. (१) ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि इस माध्यस्थम् [बोर्ड] संबंध में विहित की जाय, ग्रामदान सभा, किसी व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन-पत्र दिया जाने पर, भूमि के आवंटन के बारे में किसी भी विवाद को माध्यस्थम् [बोर्ड] मण्डल द्वारा, जिसमें कि निम्नलिखित होंगे, माध्यस्थम् के लिये निर्देशित करेगी :—

- (एक) आवेदक द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक सदस्य;
- (दो) ग्रामदान सभा द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक सदस्य; और
- (तीन) खण्ड (एक) तथा (दो) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से नामनिर्देशित किया गया या यदि वे सहमत न हों तो [विहित प्राधिकारी] मण्डल का सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक सदस्य.

(२) माध्यस्थम् [बोर्ड] मण्डल अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा.

(३) माध्यस्थम् [बोर्ड] मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा तथा पक्षकारों को बन्धनकारी होगा.

[आवंटितियों को
बेदखल करने की
शक्ति.] कतिपय
परिस्थितियों में
आवंटितियों की
भूमि का प्रबंध लेने
की शक्ति.

४३. [(१) यदि भूमि का कोई आवंटिती—

- (एक) धारा ३८ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के उपबंधों का उल्लंघन करे, या
- (दो) उसको आवंटित की गई किसी भूमि के बारे में किन्हीं शोध्यों को न चुकाये; या
- (तीन) पर्याप्त कारण के बिना लगातार दो वर्ष तक ऐसी भूमि पर खेती न करे;

तो ग्रामदान सभा विहित प्राधिकारी को, आवंटन रद्द करने के लिये आवेदन कर सकेगी और तदुपरान्त विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, और आवंटिती को मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवंटन को रद्द कर सकेगा और आवंटिती या किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि भूमि पर कब्जा किये हुए पाया जाय, बेदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा ग्रामदान सभा को प्रत्यावर्तित कर सकेगा.]

[(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के खण्ड (दो) या (तीन) के अधीन आने वाले किसी मामले में, विहित प्राधिकारी आवंटन को रद्द करने तथा ग्रामदान सभा को भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने के बजाय, आदेश द्वारा, ग्रामदान सभा को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी कालावधि के लिये, जिसे कि वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसी भूमि का प्रबंध ले लें.]

(२) यदि भूमि का कोई आवंटिती—

- (एक) धारा ३८ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के उपबंधों का उल्लंघन करे; या
- (दो) उसको आवंटित की गई किसी भूमि के बारे में किन्हीं देयों को न चुकाये; या
- (तीन) पर्याप्त कारण के बिना लगातार तीन वर्ष तक ऐसी भूमि पर खेती न करे;

तो ग्रामदान सभा विहित प्राधिकारी को, ऐसी भूमि का प्रबंध लेने के लिये आवेदन कर सकेगी तथा तदुपरान्त विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् और आवंटिती को मुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, ग्रामदान सभा को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी कालावधि के लिये, जिसे कि वह (विहित प्राधिकारी) विनिर्दिष्ट करे, भूमि का प्रबंध ले लेवे.

(३) जहां ग्रामदान सभा को उपधारा (२) के अधीन किसी भूमि का प्रबंध ले लेने के लिये निर्देशित किया गया हो, वहां विहित प्राधिकारी ग्रामदान सभा को ऐसी भूमि का प्रबंध मंजूर करने के लिये समर्थ बनाने के हेतु ऐसे और आदेश दे सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, तथा ग्रामदान सभा विनिर्दिष्ट कालावधि तक ऐसी भूमि का प्रबंध करेगी और उस कालावधि का अवसान होने पर भूमि का कब्जा आवंटिती को प्रत्यावर्तित कर देगी.

(४) किसी ऐसे मामले में जहाँ कि प्रबंध उपधारा (२) के अधीन ले लिया गया हो, ग्रामदान सभा, ऐसी रीति में, तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो कि विहित किये जायें प्रबंध की कालावधि के दौरान भूमि से व्युत्पन्न अधिशेष आय, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा शोध्य समस्त रकम काट लेने के पश्चात्, आवंटिती को चुकायेगी.

४४. (१) ग्रामदान सभा, ऐसी अन्य भूमियों को जो कि उसके प्रबंध के अधीन आयें, सम्मिलित करते हुए, उन भूमियों को, जो कि उसमें निहित हैं, प्रबंध करेगी, और ग्राम समुदाय तथा उसके सदस्यों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का भार अपने ऊपर लेगी और उससे आनुषंगिक अन्य समस्त बातें करेगी.

ग्रामदान सभा की शक्तियां तथा कृत्य.

(२) विशिष्टता और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्रामदान सभा—

- (क) ग्राम समुदाय में सामूहिक उत्तरदायित्व, पारस्परिक सहायता की भावना को अन्तर्निविष्ट करने तथा विकसित करने के लिये उपाय कर सकेगी और सहकारी क्रियाकलापों को संप्रवर्तित कर सकेगी या उनका भार अपने ऊपर ले सकेगी या उनमें भाग ले सकेगी;
- (ख) ग्राम समुदाय के बहुपकीय तथा सर्वतोमुखी विकास की अभिवृद्धि करने का उपाय कर सकेगी;
- (ग) निराश्रित बच्चों तथा वृद्ध एवं शिथिलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण का इन्तजाम कर सकेगी;
- (घ) ग्राम में कृषि के सुधार के लिये तथा ग्राम में भूमियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये योजनायें तैयार कर सकेगी तथा उन्हें कार्यान्वित कर सकेगी;
- (ङ) सामुदायिक प्रयोजनों के लिये भूमि पृथक् रख सकेगी;
- (च) ग्राम के सामान्य विकास के लिये, जिसमें कि उस ग्राम में लघु उद्योगों की अभिवृद्धि और स्थानीय संसाधनों एवं जनशक्ति का उचित उपयोग सम्मिलित होगा, योजनाएं तैयार कर सकेगी तथा उन्हें कार्यान्वित कर सकेगी;
- (छ) भूमिहीन व्यक्तियों को ऐसी भूमियों का आवंटन कर सकेगी जो कि उस प्रयोजन के लिये उपलब्ध हों;
- (ज) खाद्य पदार्थों, कपड़े तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के लिये योजनाएं बना सकेगी तथा उन्हें कार्यान्वित कर सकेगी और उस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार का एवं ग्राम में या उसके पड़ोस में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं या अभिकरणों का सहयोग तथा सहायता प्राप्त कर सकेगी;
- (झ) खातों की चकबंदी का संप्रवर्तन कर सकेगी;

- (अ) ग्रामदान सभा के किसी भी सदस्य को चाहे वह भूमि का आवंटित हो या न हो, किसी भी प्रयोजन के लिये, चाहे वह कृषिक हो या न हो, उधार मंजूर कर सकेगी;
- (ट) भूमियों के सुधार एवं बंजर भूमियों के पुनरुत्पादन के लिये उपाय कर सकेगी तथा खेती के सुधरे हुये तरीकों को प्रारंभ कर सकेगी;
- (ठ) ग्राम के औद्योगिक विकास का संप्रवर्तन कर सकेगी;
- (ड) ग्राम में बेकारी दूर करने में सहायता दे सकेगी;
- (ढ) सामुदायिक प्रयोजनों के लिये ग्राम से स्वेच्छिक अभिदाय का संग्रहण कर सकेगी;
- (ण) ग्राम निधि के लेखे रख सकेगी;
- (त) ग्राम-अभिलेख, जिसमें ग्रामदान सभा के अन्तर्गत व्यक्तियों के कब्जे में के भूमिखातों के ब्यौरे देनवाला रजिस्टर सम्मिलित होगा, तैयार कर सकेगी तथा उन्हें रख सकेगी;
- (थ) शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ग्राम में शांति बनाये रखने के लिये ग्राम शांति दल की स्थापना कर सकेगी; और
- (द) ऐसे अन्य कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन कर सकेगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कि समय-समय पर विहित की जायं.

सिविल तथा दाण्डिक मामलों को विनिश्चित करने की ग्रामदान अदालत की शक्ति.

४५. (१) राज्य सरकार ग्रामदान मण्डल के परामर्श से प्रत्येक ग्रामदान ग्राम के संबंध में, ग्रामदान सभा के उतने सदस्यों की तथा ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, एक ग्रामदान अदालत स्थापित कर सकेगी और ग्रामदान अदालत को निम्नलिखित का विचारण तथा निपटारा करने की शक्ति प्राप्त होगी :—

- (क) ग्रामदान ग्राम के निवासियों के बीच मित्रिम प्रकार का कोई ऐसा विवाद जिस पक्षकारों ने लिखित करार द्वारा ग्रामदान अदालत को निविष्ट करने का इच्छा है;
- (ख) ऐसे मामलों को छोड़कर, जिसमें ऐसा अपराध अभ्यनंजित हो जो शमनीय न हो या जो केवल सख्त प्रक्रिया संज्ञित, १८५८ (अर्थात् ५ सन् १८६८) के उपबन्धों के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा से ही शमनीय हो, कोई अन्य दाण्डिक मामला.

(२) दोष-सिद्धि के किसी मामले में, ग्रामदान अदालत दो सौ पचास रुपये से अनधिक जुर्माने का दण्ड अधिरोपित कर सकेगी, किन्तु प्रथमतः या जुर्माना देने में व्यतक्रम होने की दशा में, कारावास का दण्ड अधिरोपित नहीं करेगी.

(३) ग्रामदान अदालत का कोई भी सदस्य किसी ऐसे सिविल या दाण्डिक मामले के, जिसमें या जिसका वह पक्षकार हो या जिसमें वह प्रत्यक्षतः या परतः हित रखता हो विचारण या निपटारे में भाग नहीं लेगा.

४६. [(१) कोई भी ग्रामदान अदालत किसी ऐसे सिविल मामले में अग्रसर नहीं होगी जिसमें प्रत्यक्ष एवं सारतः विवाद्य विषय न्याय पंचायत तथा सक्षम अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय में, उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता हो, पूर्व में संस्थित वाद में विनिश्चय के लिये लंबित हो या जिसकी उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनके कि अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता हो, किसी वाद में सुनवाई की गई हो और जो अन्तिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो.]

(१) कोई भी ग्रामदान अदालत किसी ऐसे व्यवहार मामले में अग्रसर नहीं होगी, जो न्याय पंचायत या सक्षम अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय में विनिश्चय के लिये विचाराधीन हो.

(२) कोई भी ग्रामदान अदालत किसी व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक मामले के विचारण में अग्रसर नहीं होगी जहाँ कि उसी अपराध के बारे में या किसी अन्य अपराध के, जिसका कि अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता या जिसका कि अभियुक्त को सिद्ध-दोष ठहराया जाता, उन्हीं तथ्यों पर किसी (न्याय पंचायत या किसी अन्य) न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई दाण्डिक मामला लंबित हो.

४७. (१) कोई भी विधि व्यवसायी, ग्रामदान अदालत के समक्ष किसी भी वाद या मामले या कार्यवाही में, किसी भी पक्षकार की ओर से न तो उपसंजात होगा, न अभिवचन करेगा और न कार्य करेगा :

कोई भी विधि व्यवसायी उपसंजात नहीं होगा.

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे पक्षकार को लागू नहीं होगी जो किसी दाण्डिक मामले में गिरफ्तार किया जाकर ग्रामदान अदालत के समक्ष विचारण के लिये लाया गया हो.

(२) उपधारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामलों में के सिवाय, ग्रामदान अदालत द्वारा विचारणीय दाण्डिक मामले के पक्षकार उसके समक्ष एवं स्वयं उपसंजात होंगे, परन्तु ग्रामदान अदालत, किसी भी मामले में, किसी अभियुक्त को स्वयं हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी और उसे अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होने की अनुज्ञा दे सकेगी.

(३) ग्रामदान अदालत द्वारा विचारणीय किसी सिविल वाद के पक्षकार अधिकारियों द्वारा उपसंजात हो सकेंगे.

स्पष्टीकरण:—उपधारा (२) तथा (३) में "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो उस पक्षकार की ओर से, जिसका कि वह प्रतिनिधित्व कर, उपसंजात होने तथा अभिवचन करने के लिये लिखित में प्राधिकृत किया गया हो और जिसे ग्रामदान अदालत द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई हो कि वह प्रतिनिधि होने के लिये उपयुक्त है [और वह ऐसे पक्षकार का कोई नातदार, भागीदार अथवा पूर्णकालिक सेवक होगा].

४८. (१) किसी भी स्त्री, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो रुग्णतया अंगशैथिल्य के कारण स्वयं हाजिर होने में असमर्थ हो, ग्रामदान अदालत के समक्ष स्वयं हाजिर होने के लिये विवश नहीं किया जायगा और ग्रामदान अदालत ऐसी स्त्री या व्यक्ति के कथन को बिहित फीस के संदाय करने पर उसके निवास स्थान पर अभिलिखित कर सकेगी.

[स्वीय उप-संजाति] स्वयं हाजिर होने से छूट.

(२) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (क्रमांक ५ सन् १९०८), की धारा १३३ के अधीन किसी भी न्यायालय में स्वीय उपसंज्ञाति से छूट दी गई हो, किसी वाद में ग्रामदान अदालत के समक्ष भी स्वीय उपसंज्ञाति से छूट दी जायगी.

परिनिर्धारण, सम-
झौते या शपथ
पर मामलों का
बिनिश्चय.

४६. (१) ग्रामदान अदालत, उसके समक्ष किसी भी मामले, वाद या अन्य कार्यवाही में उस अवस्था के सिवाय जहां कि ऐसा मामला, वाद या अन्य कार्यवाही समझौते के योग्य न हों, विवाद से संबंधित पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न करेगी.

(२) ग्रामदान अदालत ऐसे किसी भी वाद, मामले या अन्य कार्यवाही का, जिसका विचारण करने के लिये वह सक्षम हो, पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया या किये गये किसी भी विधिपूर्ण परिनिर्धारण समझौते या शपथ के अनुसार, जिसको कि लेखबद्ध किया जावगा, बिनिश्चय करेगी.

सत्यता अभि-
निश्चित करने की
प्रक्रिया और
शक्तियां.

५०. ग्रामदान अदालत किसी वाद, मामले या कार्यवाही में ऐसा साक्ष्य स्वीकार करेगी जिसे कि पक्षकार पेश करे तथा ऐसा और साक्ष्य मांग सकेगी जो कि उसकी राय में विवाद बिन्दुओं के अवधारण के लिये आवश्यक हो. ग्रामदान अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने समक्ष चल रहे प्रत्येक वाद, मामले या कार्यवाही के तथ्यों को अपनी शक्ति के अन्तर्गत आनेवाले प्रत्येक विधिपूर्ण साधन द्वारा अभि-निश्चित करे और तत्पश्चात् खर्च के सहित या बिना ऐसी डिक्री अथवा आदेश दे जो कि उसे न्यायसंगत तथा वैध प्रतीत हो. वह उस ग्राम में, जिससे विवाद का सम्बन्ध हो, स्थानीय अन्वेषण कर सकेगी. वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगी. कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (क्रमांक ५ सन् १९०८), दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८६८ (क्रमांक ५ सन् १८६८) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२), और लिमिटेशन एक्ट, १९६३ (क्रमांक ३६ सन् १९६३) ग्रामदान अदालत में के किसी भी वाद, मामले या कार्यवाही को, इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय अन्यथा या जैसा कि विहित किया जाय उससे अन्यथा लागू नहीं होंगे.

कतिपय मामलों
का नियमित
न्यायालय को
अन्तरण.

५१. (१) यदि किसी ग्रामदान अदालत को [यह राय हो] पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर यह राय हो कि उसके समक्ष आया हुआ कोई सिविल या दाण्डिक मामला ऐसे प्रकार का है या इस प्रकार जटिल या महत्वपूर्ण है कि उसका विचारण नियमित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये अथवा यह कि किसी दाण्डिक मामले का कोई अभियुक्त अथवा किसी भी मामले का साक्षी ऐसी दूरी पर निवास करता है या यात्रा में उसे ऐसी कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी कि उसे उसके समक्ष उपसंज्ञात होने के लिये अपेक्षित नहीं किया जाना चाहिये, तो ग्रामदान अदालत उस मामले को, यथास्थिति ऐसे जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश के पास भेज सकेगी जो उसे विचारण के लिये सक्षम अधिकारिता रखने वाले निकटतम नियमित न्यायालय को अन्तरित कर देगा :

परन्तु यदि यथा स्थिति जिला न्यायाधीश या सत्र-न्यायाधीश की यह राय हो कि वाद या मामला ऐसे प्रकार, कठिनाई या महत्व का नहीं है कि उसका विचारण किसी न्यायालय द्वारा किया जाय या किसी मामले में अभियुक्त को उस दण्ड से, जिसे देने के लिये कि ऐसी ग्रामदान अदालत सशक्त है, भिन्न प्रकार का या कठोरतर दण्ड नहीं मिलना चाहिये, तो ऐसा न्यायालय वाद या मामले को उस ग्रामदान अदालत को निपटारे के लिये लौटा देगा जिसने कि निर्देश किया था.

(२) यदि यथास्थिति जिला न्यायाधीश या सत्र-न्यायाधीश को यह राय हो कि वाद या मामला ऐसे प्रकार, कठिनाई या महत्व का है कि उसका विचारण ग्रामदान अदालत द्वारा नहीं किया जाना चाहिये या कि किसी मामले में अभियुक्त को उस दण्ड से, जिसे देने के लिये कि ऐसी ग्रामदान अदालत तत्क्षक है, भिन्न प्रकार या कठोरतर दण्ड मिलना चाहिये, तो ऐसा न्यायालय, वादी या परिवादी को, यथास्थित ऐसे सिविल या दण्ड न्यायालय में, जो कि ऐसे वाद या मामले का संज्ञान करने के लिये सक्षम हो, जाने के लिये निर्देश देते हुए आदेश देगा।

५२. ग्रामदान अदालत दण्डक मामलों के या सिविल वादों के विचारण मामलों का संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो किं विहित की जाय. संक्षिप्त विचारण.

५३. ग्रामदान अदालत या उस संबंध में सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किया गया उसका कोई भी सदस्य, किसी मामले में या निर्देश के उचित निपटारे के लिये सहायक तथ्यों को अभिनिश्चित करने के हेतु, किसी भी भूमि पर, उसके अधिभोगी को या जब कोई अधिभोगी न हो तो ऐसी भूमि के स्वामी को चौबीस घण्टे की सूचना देने के पश्चात् सुर्पादय तथा सुर्पास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकेगी यदि भूमि [किसी ऐसी स्त्री के अधिभोग में हो, जो देश की रूढ़ि के अनुसार जन-साधारण के सामने न निकलती हो,] किसी स्त्री के अधिभोग में हो तो उसे वहां से हट लिये सम्यक् सूचना दी जायेगी. मामलों के निपटारे के लिये भूमि का निरीक्षण करने की शक्ति.

५४. (१) ग्रामदान अदालत के दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८६८ (क्रमांक ५ सन १८६८) की धारा २०२ के अधीन स्थानीय अन्वेषण करने का निर्देश दिया जा सकेगा. द्वारा स्थानीय अन्वेषण.

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८६७ (क्रमांक ५ सन १८६८) की धारा ४८८ के अधीन जांच करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट उस ग्रामदान अदालत से, जिसके कि हल्के में ऐसी जांच में संबंधित किसी पक्षकार की पत्नी, बच्चे, पति या माता या पिता निवास करते हों, भरण-पोषण को रकम के संबंध में, जो कि पक्षकारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिये, रिपोर्ट की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी रिपोर्ट ऐसी जांच में साक्ष्य होगी।

(३) ग्रामदान अदालत के किसी भी सदस्य से, ऐसे किसी विषय के संबंध में जिसमें कि रिपोर्ट स्वयं साक्ष्य हो, साक्षी के रूप में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी. किन्तु मजिस्ट्रेट आगे और रिपोर्ट की मांग कर सकेगा.

५५. (१) कोई भी सिविल न्यायालय, किसी लम्बित मामले में ग्रामदान अदालत से उस ग्रामदान अदालत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों के संबंध में लाभ या नुकसान पर और उनके बीच की सीमाओं पर तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रकट की गई प्रस्थिति या आद्य के अनुरूप समझी गई भरण-पोषण की दरों पर रिपोर्ट की अपेक्षा कर सकेगा. रिपोर्ट मांगने की सिविल न्यायालय की शक्तियां.

(२) ऐसी रिपोर्ट ऐसे मामले में साक्ष्य होगी:

(३) ग्रामदान अदालत के किसी भी सदस्य से ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में, जिसमें कि रिपोर्ट स्वयं साक्ष्य हो, साक्षी के रूप में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी किन्तु सिविल न्यायालय आगे और रिपोर्ट की मांग कर सकेगा.

[पुनरीक्षण]
अपील तथा पुन-
रीक्षण.

५६. [(१) ग्रामदान अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश को विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.]

(२) उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्रामदान अदालत का प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश अन्तिम होगा।]

(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्रामदान अदालत का प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश अन्तिम होगा;

(२) ग्रामदान अदालत के किसी भी निष्कर्ष, दण्डादेश, डिक्री या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय को, ऐसे निष्कर्ष, दण्डादेश, डिक्री या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, अपील कर सकेगा।

(३) जिला न्यायाधीश या सत्र-न्यायाधीश, इस बात के अनुसार कि मामला सिविल मामला है या दाण्डिक मामला है, किसी भी समय, स्वतंत्रता से [अथवा] उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामदान अदालत के [किसी निष्कर्ष दण्डादेश, डिक्री या आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसे निष्कर्ष दण्डादेश, डिक्री या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, फाइल किये गये आवेदन पत्र पर, ऐसी ग्रामदान अदालत को] समक्ष लम्बित या उसके द्वारा निपटायें गये किसी भी मामले के अभिलेख की अभिलिखित या पारित किये गये किसी भी निष्कर्ष, दण्डादेश, डिक्री या आदेश की शुद्धता वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में और ऐसी ग्रामदान अदालत की कर्तव्य सीमा कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिये, मांग कर सकेगा तथा उसकी पड़ताल कर सकेगा और ऐसे अभिलेख की मांग करते समय यह निर्देश दे सकेगा कि किसी भी ऐसे निष्कर्ष, दण्डादेश, डिक्री या आदेश का निष्पादन निलम्बित कर दिया जाय. यथास्थिति जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश अभिलेख की पड़ताल करने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे तथा उनका आदेश अन्तिम होगा और उसके पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिये कोई भी आवेदन पत्र नहीं दिया जायेगा :

परन्तु किसी ग्रामदान अदालत के किसी भी आदेश में तब तक फेरफार नहीं किया जायेगा या उसे उलटा नहीं जायेगा जब तक कि उससे प्रभावित हुए पक्ष को सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी कि जहां यथास्थिति जिला न्यायाधीश या सत्र-न्यायाधीश की राय में ग्रामदान अदालत द्वारा पक्षकारों के बीच पर्याप्त न्याय किया गया हो, वहां ग्रामदान अदालत के किसी भी आदेश को केवल किसी अनियमितता के आधार पर या अदालत के गठन में त्रुटि होने के आधार पर रूपान्तरित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जायेगा.

(४) यथास्थित जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश, उस क्षेत्र में, जिसमें ग्रामदान अदालत स्थित हो, अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायाधीश को उपधारा (३) के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ प्रदान कर सकेगा :

परन्तु ऐसी शक्तियाँ किसी भी ऐसे सिविल न्यायाधीश को प्रदान नहीं की जायेंगी जो स्थायी न हो और जिम्मे गैरी कालावधि तक, जो तीन वर्ष से कम न हो, न्यायिक पद धारण न किया हो.

५७. ग्रामदान अदालत द्वारा उसके विनिश्चयों, दण्डादेशों, डिक्कियों तथा विनिश्चयों आदि आदेशों के प्रवर्तन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, सिविल या दण्ड न्यायालय के प्रवर्तन के की शक्तियाँ, जिन्हें कि वह प्रयोग में ला सकेगी तथा सिविल या दाण्डिक में उसके संबंध में प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस ऐसी होगी जो कि विहित की जाय.

५८. ग्रामदान सभा, ग्रामदान समिति या किसी समिति का कोई भी कार्य ग्रामदान सभा का या कार्यवाही या उसके गठन में त्रुटि या उसकी कार्यवाहियों में किसी अनौपचारिकता कार्य अविधिमान्य के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जायगी. नहीं किया जायगा.

५९. (१) धारा २१, २०, २४, २६, ४१ तथा ४३ के अधीन विहित अपील. प्राधिकारी के किसी विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे अपीली प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, अपील कर सकेगा.

(२) अपीली प्राधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे और अपीली प्राधिकारी के इस प्रकार पारित किये गये आदेश अन्तिम होंगे.

६०. मध्यप्रदेश पंचायत्स एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) के उपबन्ध जहाँ तक कि वे न्याय पंचायत तथा आदिवासी पंचायत से संबंधित हैं, उस क्षेत्र को लागू नहीं होंगे जिस पर कि ग्रामदान अदालत इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपनी अधिकारिता का प्रयोग करती हो. न्याय पंचायत तथा आदिवासी पंचायत से संबंधित उपबन्ध लागू नहीं होंगे.

छटवां अध्याय—ग्राम निधि

६१. (१) प्रत्येक ग्रामदान सभा की अपनी स्वयं की एक निधि होगी जो ग्राम निधि. ग्राम निधि कहायेगी और वह इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये, केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी व्यक्ति से अनुदान, सदातः, वसीयत, दान या उधार प्रतिग्रहीत कर सकेगी.

(२) ग्रामदान सभा द्वारा प्राप्त समस्त राशियाँ तथा धन, जिनमें कि उसके द्वारा हाथ में ली गई किसी खेती या हाथ में लिये गये किसी उद्यम के लाभ सम्मिलित होंगे, ग्राम निधि में जमा किये जायेंगे.

(३) फीस, जूमनि, शस्तियों के रूप में या अन्यथा ग्रामदान अदालत द्वारा प्राप्त समस्त राशियाँ ग्राम निधि में जमा की जायगी.

६२. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्राम निधि ग्रामदान सभा द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोजित की जायगी. ग्राम निधि का उपयोजन.

६३. ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस संबंध में बनाये जायें ग्रामदान सभा को ग्राम निधि या उसकी किसी भी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेने की शक्ति होगी. ग्रामदान सभा के उधार लेने की शक्तियाँ.

लेखे तथा संपरीक्षा

६४. ग्रामदान सभा उसके द्वारा प्राप्त तथा व्यय किये गये समस्त धनों के लेखे रखवायेगी और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो कि ग्रामदान सभा द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाय.

सातवां अध्याय

प्रकीर्ण

ग्रामदान सभा
ग्रामदान किसान
या आबंटिती द्वारा
धारित भूमियों
के क्रय पर निर्वन्धन.

६५. जहां ग्रामदान सभा को संदान की गई किसी भी भूमि में किसी ग्रामदान किसान या किसी आबंटिती का हित या किसी भूमि में ग्रामदान सभा का हित यथास्थित ग्रामदान किसान, आबंटिती या ग्रामदान सभा द्वारा शोध्य किन्हीं रकमों के संदाय में किसी व्यक्तिक्रम के कारण बेचा जाय, वहां ऐसा हित ग्रामदान सभा को छोड़कर या किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो कि उस ग्राम के जिसमें वह भूमि स्थित हो, ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो गया हो, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बेचा जायेगा.

भू-राजस्व पर
अधिभार तथा
कृषिक आय पर
कर संदाय करने
का ग्रामदान सभा
का दायित्व.

६६. ग्रामदान सभा ग्रामदान के रूप में संदाय की गई किसी भी भूमि के संबंध में, भू-राजस्व पर अधिभार के रूप में या वृषि आय पर कर के रूप में उस रकम से अधिक कोई भी रकम चुकाने के लिये दायी नहीं होगी जो कि उसके संबंध में उस व्यक्ति द्वारा, जिसने कि ऐसी भूमि का संदान किया हो, उसके इस प्रकार संदान में न दिये जाने की दशा में देय होती.

ऋणों की मात्रा
कम करने के लिए
आवेदन करने का
ग्रामदान सभा का
अधिकार.

६७. (१) ग्रामदान सभा, ऋणों की मात्रा कम करने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी ऐसे ऋण की, जिसको कि ऐसी विधि लागू होती हो और जिसके संबंध में ग्रामदान सभा या उसके सदस्यों में से कोई भी सदस्य दायी हो, मात्रा कम करने के लिये आवेदन कर सकेगी.

(२) जहां ग्रामदान सभा, किसी ऐसे ऋण की, जिसके कि संबंध में वह दायी हो, मात्रा कम करने के लिये आवेदन करे, वहां ऐसे आवेदन पत्र पर भी उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी मानो कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया आवेदन पत्र हो जो कि उस तारीख के अव्यवहित पूर्व ऋण के लिये दायी था जिसको कि वह संपत्ति जिसके कि संबंध में ऋण उद्भूत हुआ हो, ग्रामदान सभा में निहित हुई हो.

(३) जहां ग्रामदान सभा, किसी ऐसे ऋण की जिसके लिये कि उसके सदस्यों में से कोई भी सदस्य दायी हो, मात्रा कम करने के लिये आवेदन करे, वहां ऐसे आवेदन पत्र पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी मानो कि वह ऐसे सदस्य द्वारा दिया गया आवेदन पत्र हो और उस पर पारित आदेश ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो कि विहित किये जायं, ऐसे सदस्य के फायदे के लिये प्रयुक्त होगा.

ग्रामदान सभा का
सहकारी सोसा-
इटी के रूप में
रजिस्ट्रीकरण.

६८. कोई भी ग्रामदान सभा, कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१), के अधीन सोसायटी के रूप में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवा सकेगी.

६६. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

स्टाम्प-शुल्क आदि से छूट देने की शक्ति.

- (क) उस स्टाम्प शुल्क, जो कि धारा २१, धारा २२, धारा २३ या धारा ४१ के अधीन किसी घोषणा पर या ग्रामदान सभा द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई किसी लिखत पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, प्रभावी हो;

- (ख) ग्रामदान सभा द्वारा या किसी ऐसे स्थायी स्वामी द्वारा जो धारा २१ या धारा ४१ के अधीन भूमि का सदान करे, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिये किसी फीस का,

जिसे उद्ग्रहीत करने के लिये राज्य सरकार सक्षम हो, परिहार कर सकेगी.

७०. (१) राज्य सरकार, ग्रामदान सभा की प्रार्थना पर तथा उस ग्राम पंचायत से जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर ग्रामदान सभा कार्य करती हो परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि ग्रामदान सभा अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र (जो इस धारा में इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट हैं) के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की समस्त [या किन्हीं भी] ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त [या किन्हीं भी] कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी [जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय]. ग्रामदान सभा को ग्रामपंचायत के रूप में कार्य करने के लिये संपूरकता किया जा सकेगा.

२) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना निकाले जाने पर—

- [(क) यदि ग्रामदान सभा द्वारा, ग्राम-पंचायत की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन किया जाना हो, तो,—

- (एक) वह ग्राम पंचायत, जो अधिसूचना की तारीख के अव्यवहित पूर्व कार्य कर रही थी, उक्त क्षेत्र के संबंध में, उसमें कार्य करने से परिवर्तित हो जायगी;

- (दो) मध्यप्रदेश पंचायतस एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) के अधीन पंचायत से संलग्न समस्त शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य, उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में, ग्रामदान सभा से संलग्न हो जायेंगे और तदनुसार ग्रामदान सभा पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी;

- (तीन) मध्यप्रदेश पंचायतस एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) के उपबन्ध, ऐसे निबन्धनों तथा उपान्तरणों के अधीन रहते हुए जिन्हें कि राज्य सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, ग्रामदान सभा को उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह उस ग्राम के लिये विधि के अधीन गठित ग्राम पंचायत हो;

- (चार) ग्रामदान सभा, ग्राम पंचायत की समस्त ऐसी आस्तियों की हकदार होगी और ग्राम पंचायत के समस्त ऐसे दायित्वों

के अध्यक्षीन होगी जो कि अधिसूचना की तारीख को हों जहाँ तक कि ऐसी आस्तियां तथा दायित्व उक्त क्षेत्र से संबंधित हों :

परन्तु ऐसी हाट या बाजार, जो ग्रामदान सभा के क्षेत्र के भीतर स्थित हो और जिसका प्रबन्ध ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था जिसकी कि प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर ऐसी हाट या बाजार पड़ता हो, ग्राम पंचायत द्वारा ही प्रबंधित किया जाता रहेगा, और उसकी आय का एक भाग ग्रामदान सभा को उक्त अनुपात के अनुसार दिया जायेगा जो कि ग्रामदान सभा की जनसंख्या ग्राम पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ रहती हो [;]

[(ख) किसी अन्य मामले में—

(एक) ग्राम पंचायत, ग्रामदान सभा की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के संबंध में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों एवं छूटों का पालन करने से परिवर्तित हो जायेगी;

(दो) इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई शक्तियां, कर्तव्य तथा छूट, जो ग्राम पंचायत से संलग्न थे, पूर्वोक्त क्षेत्र के संबंध में ग्रामदान सभा से संलग्न हो जायेंगे और तदनुसार ग्रामदान सभा इन शक्तियों का प्रयोग तथा इन कर्तव्यों एवं छूटों का निर्वहन करेगी;

(तीन) मध्यप्रदेश पंचायत्स एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) के उपबन्ध, ऐसे निर्वहनों तथा उद्गारणों के अधीन रहते हुए जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, ग्रामदान सभा को उसी प्रकार लागू होने मानों कि वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन गठित ग्राम पंचायत हो;

(चार) ग्रामदान सभा, ग्राम पंचायत को ऐसी आस्तियों की हकदार होगी और ग्राम पंचायत के ऐसे दायित्वों के अध्यक्षीन होगी जोकि अधिसूचना की तारीख को हो, और जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें]

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में ऐसे अनुपूरक अनुवांगिक, तथा परिणामिक उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, और विनिर्दिष्ट तथा वह यह निर्देशित कर सकेंगी—

(एक) कि ग्राम पंचायत को शोध्य कोई कर, फीस या अन्य राशि ग्रामदान सभा को देय होगी ;

(दो) कि किसी ऐसे कर, फीस या राशि के सम्बन्ध में अपीलें, अर्जियां या अन्य आवदन पत्रों का, जो कि ऐसी अधिसूचना की तारीख को लंबित हो, निपटारा ग्रामदान सभा द्वारा किया जायगा।

स्पष्टीकरण :—जहाँ ग्रामदान सभा भी अधिकारिता के भीतर आने वाला क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर समाविष्ट हो, वहाँ उपधारा (१) तथा (२) में पंचायत के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे ऐसी ग्राम पंचायतों के प्रति निर्देश हैं।

७१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :—

- (क) [बोर्ड] मण्डल के [सभापति, उपसभापति और सचिव] सभापति तथा उपसभापति को दिये जाने वाले मानदेय की दर;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली घोषणाओं का प्ररूप तथा रीति और उनके साथ फाइल की जाने वाली दस्तावेज;
- (ग) प्राधिकारी जिनके समक्ष इस अधिनियम के अधीन घोषणायें तथा आपत्तियाँ फाइल की जा सकेंगी;
- (घ) वह रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन घोषणायें प्रकाशित की जायेंगी, इस अधिनियम के अधीन जांचों का स्वरूप, विस्तार तथा रीति और आपत्तियों की सुनवाई तथा निपटारा;
- (ङ) "घोषणा-पत्र" का प्ररूप तथा वह रीति जिसमें व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे;
- (च) इस अधिनियम के अधीन अपीलें प्रस्तुत करने की रीति, उनके लिये उद्ग्रहणीय फीस, प्राधिकार, जिनको कि वे [अपीलें] की जा सकेंगी और ऐसी अपीलों की सुनवाई तथा निपटारे की प्रक्रिया;
- (छ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ग्रामदान ग्राम का पृथक् राजस्व ग्राम के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा और वह सीमा जिस तक तथा वह रीति जिसमें सामान्य भूमियाँ माप और सीमांकित करके विभाजित की जा सकेंगी;
- (ज) वह दर जिस पर, वह समय जिसके भीतर तथा वह रीति जिसमें नियतकालिक अधिदाय किये जाने हों;
- (झ) ग्रामदान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति;
- (ञ) वह रीति तथा प्ररूप जिसमें अन्तरण के प्रज्ञापन ग्रामदान किसान द्वारा दिये जाने हों;
- (ट) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें तथा वे अन्तराल जिन पर सदस्यों का रजिस्टर तैयार तथा पुनरीक्षित किया जा सकेगा;

- ठ) भू-राजस्व की वसूली के लिये संग्रहण संबंधी प्रभावों की दर और उन्हें ऋण से ऋण करने का समय तथा रीति;
- (ड) भूमि की अधिकतम सीमा जिसे कि कोई व्यक्ति द्वारा ३८ के अधीन भूमिहीन व्यक्ति होने के प्रयोजन के लिये धारण कर सकेगा या जिसे किसी स्वामित्व में रख सकेगा;
- (ढ) ग्रामदान अदालत का बल, वह रीति जिसमें उसकी स्थापना की जानी है और सिविल तथा दाण्डिक मामलों के संस्थित लिये जाने, विचारण तथा निपटारे में ग्रामदान अदालत द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- ण) ग्रामदान सभा तथा ग्रामदान अदालत के समन तथा अन्य आदेशिकाओं एवं सूचनाओं का निकाला जाना, उनकी तामील की जाना तथा उनका निष्पादन किया जाना;
- (त) ग्रामदान अदालत के विनिश्चयों, दण्डदेशों, डिक्रियों तथा आदेशों के प्रवर्तन के लिये प्रक्रिया और सिविल या दण्ड न्यायालय की वे शक्तियां जिन्हें कि वह प्रयोग में ला सकेंगी;
- (थ) विहित प्राधिकारी के आदेशों या विनिश्चयों के प्रवर्तन की रीति;
- (द) मामलों के संस्थित किये जाने के लिये, आदेशिकाओं के निकाले जाने के लिये तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां अभिप्राप्त किये जाने के लिये तथा अन्य विषयों के लिये ग्रामदान अदालत द्वारा उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस;
- (ध) ग्रामदान सभा द्वारा धन उधार लेने की रीति तथा उधार लेने की सीमायें; और
- (न) कोई अन्य विषय जिनका विहित किया जाना अनिवार्य है या जो विहित किया जा सके.
- (३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

उपविधियां बनाने की शक्ति.

७२. [बोर्ड] मण्डल, राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी से, ऐसे समस्त विषयों के लिये, जिनके लिये कि इस अधिनियम के अधीन उपविधियों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है, उपबन्ध करने के हेतु ऐसी उपविधियां बना सकेगा जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों.

विनियम बनाने की शक्ति.

७३. (१) ग्रामदान सभा, राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी से, ऐसे समस्त विषयों के लिये, जिनके लिये कि इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ उपबन्ध आवश्यक है, उपबन्ध करने के हेतु ऐसे विनियम बना सकेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी-शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :—

- (क) ग्रामदान सभा के सम्मेलन, उनमें किये जाने वाले काम-काज का संचालन और उनके काम-काज के निपटारे के लिये प्रक्रिया;
- (ख) ग्रामदान समिति के सदस्यों के निर्वाचन की रीति और समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य;
- (ग) अध्यक्ष और सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य;
- (घ) वे परिस्थितियां जिनमें तथा वह रीति जिसमें अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकेगा;
- (ङ) वह रीति जिसमें तथा वह अवधि जिसके लिये ग्रामदान समिति में या किसी अन्य समिति में या ग्रामदान सभा के अध्यक्ष के पद में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां भरी जायेंगी;
- (च) स्थायी तथा तदर्थ समितियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य, सदस्यों की पदावधि और उनके काम-काज का संचालन [तथा वे परिस्थितियां जिनमें तथा वह रीति जिसमें समिति का विघटन या पुनर्गठन किया जा सकेगा];
- (छ) ग्रामदान सभा के सचिव तथा अन्य आफिसरों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तें तथा वे परिस्थितियां जिनमें कि वे सेवा से हटाये जा सकेंगे और ऐसे हटाए जाने की रीति;
- (ज) ग्रामदान सभा के लेखाओं का रखा जाना;
- (झ) भूमि के आवंटन में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत तथा ऐसे आवंटन के लिये भाटक, फीस या अन्य प्रभारों की उद्ग्रहण;
- (ञ) किसी भूमि की निहित होने की तारीख को अभिभारों या किसी भू-राजस्व भाटक, उपकरणों, रेटों तथा अन्य शोध्यों के मद्दे संबंधित स्वामी द्वारा, जिसमें ग्रामदान के रूप में भूमि का संदान किया हो; ग्रामदान सभा को शोध्य किन्हीं संदायों को वसूल करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत;
- (ट) स्वयं ग्रामदान सभा द्वारा खेती के लिये अलग रखी गई भूमियों पर यदि कोई हो, खेती की जाने की रीति; और
- (ठ) कोई अन्य विषय, जिसके लिये ग्रामदान सभा के इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिये उपबन्ध आवश्यक हो.

ग्रामदान सभा का
अतिष्ठान.

[७४. (१) यदि राज्य सरकार की राय में कोई ग्रामदान सभा—

(क) इस अधिनियम द्वारा उनको समनुदेशित किये गये कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है; या

इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित की गई शक्तियों का अतिरेक या दुरुपयोग करती है; या

इस अधिनियम के उपबन्धों से या उसके अधीन विरचित नियमों से संगत रीति में कार्य नहीं कर रही है;

तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अपने आदेशों के लिये कारण प्रकट करते हुए उस ग्रामदान सभा को अक्षम या व्यतिक्रम करने वाली या उसकी शक्तियों का अतिरेक या दुरुपयोग करने वाली या यथास्थिति इस अधिनियम के उपबन्धों से या उसके अधीन विरचित नियमों से संगत रीति में कार्य न करते रहने वाली घोषित कर सकेगी और उसको ऐसी कालावधि के लिये अतिष्ठित कर सकेगी जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो:

परन्तु इसके पूर्व कि कोई भी अधिसूचना निकाली जाय संबंधित ग्रामदान सभा को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा कि प्रस्थापित घोषणा क्यों न की जाय.

(२) उपधारा (१) के अधीन ग्रामदान सभा का अतिष्ठान हो जाने पर,—

(क) ग्रामदान सभा द्वारा गठित की गई समस्त समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे.

(ख) ग्रामदान सभा या उसकी किसी भी समिति की शक्तियों का प्रयोग, तथा कर्त्तव्यों का पालन, अतिष्ठान की कालावधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिन्हें कि राज्य सरकार इस संबंध में समय-समय पर नियुक्त करे;

(ग) ग्रामदान सभा में निहित समस्त संपत्तियों तथा ग्राम निधि का कोई भी अतिशेष जिले के कलेक्टर में निहित हो जायेगा और उसके (ग्रामदान सभा के) ऐसे दायित्व, जो कि उसके विधि सम्मत कृत्यों के निर्वहन में उपगत किये गये हों, या जो संबंधित ग्रामदान सभा द्वारा पालन किये गये प्रसामान्य कर्त्तव्यों के अनुक्रम में उपगत किये जा चुके हों, जिले के कलेक्टर को अन्तरित कर दिये जायेंगे जो कि अतिष्ठान की कालावधि का अवसान न होने तक ऐसा इन्तजाम करेगा जो कि आवश्यक समझा जाय; और

(घ) संबंधित ग्रामदान ग्राम के लिये स्थापित की गई ग्रामदान अदालत कार्य करने के परिवारित हो जायेगी और समस्त लंबित मामले तथा वाद सक्षम अधिकारिता के न्यायालयों को अन्तरित हो जायेंगे.

(३) यदि राज्य सरकार की राय में, उपधारा (१) के अधीन अतिष्ठित की गई किसी ग्रामदान सभा की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिनसे उसके अधीन निकाली गई अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट की गई अतिष्ठान की कालावधि में वृद्धि करना न्यायोचित ठहरता हो, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अतिष्ठान की कालावधि को, एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि तक के लिये जैसी कि वह आवश्यक समझे, उसके लिये कारण प्रकट करते हुए, बढ़ा सकेगी.

(४) उपधारा (१) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट की गई या उपधारा (३) के अधीन बढ़ाई गई अतिष्ठान की कालावधि का अवसान होने पर, ग्रामदान सभा अपने कृत्यों को पुनः ग्रहण कर लेगी और अपने अध्यक्ष का निर्वाचन तथा समितियों का गठन करेगी और राज्य सरकार इस अधिनियम में उपबन्धित की गई रीति में ग्रामदान अदालत स्थापित करेगी:

परन्तु राज्य सरकार, अतिष्ठान की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय, उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निकाली गई किसी भी अधिसूचना का प्रत्याहरण कर सकेगी.

(५) अतिष्ठान की कालावधि के दौरान ग्रामदान ग्राम से व्युत्पन्न आय का उपयोग प्रथमतः अतिष्ठान की कालावधि के दौरान प्रबंध संबंधी खर्चों के लिये और ग्रामदान सभा के दायित्वों के समापन के लिये किया जायेगा तथा अतिशेष ग्रामनिधि में जमा किया जायेगा.]